सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 18/-
वार्षिक	₹ 200/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक) 30 यु.एस. डॉलर	

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

नवम्बर, 2015 वर्ष 14 अंक 09

इस्लाम

अल्लाह केवल पूज्य है दो इसकी गवाही
उसके नबी मुहम्मद दो इस की गवाही
वह आख़री रसूल हैं और आख़री नबी
ईसा नबी जो आएंगे, पहले से हैं नबी
क़ाइम करो नमाज़, और दो माल की ज़कात
रमज़ान के रोज़े रहो, दो जान की ज़कात
मक्का तक आने जाने पर सामर्थ्य अगर हो
जीवन में एक बार फिर तुम ह़ज्ज भी करो
रहमत नबी पे या रब और उन पे हों सलाम
लाखों दुरूद उन पर लाखों मेरे सलाम

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

Desining & Editing by : Qamaruzzama- +91 94522 95052, +91 7275527805

विषय एक दृष्टि में

क़ुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	03
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	04
तवह्हुमात (अंधविश्वास)	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	05
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	09
अर्शे इलाही के साये में	मौ0 सै0 अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0	14
पैदाइशी मुसलमान	इं0 जावेद इक़बाल	18
मुसलमानों की नवीन पीढ़ी	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	20
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	24
इस्लाम में विवाह	इदारा	26
उर्दू के आधार स्तंभ	डॉ0 मुहम्मद अहमद	31
शहादत फ़ौज़े अ़ज़ीम	इदारा	39
उर्दू सीखिए	इदारा	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूर-ए-बकर:

अनुवाद- और अगर तुम सफ़र में हो और कोई लिखने वाला न पाओ तो गिरवी रख कर मामला करो, फिर अगर तुममें से कोई आदमी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला करे तो चाहिए कि वह जिस पर एतिबार किया गया वह अपनी अमानत को पूरा अदा करे, और अल्लाह से डरता रहे जो उसका रब है, और गवाही को मत छिपाओ, और जो आदमी उसको छिपाये तो बेशक दिल उसका गुनहगार है, और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब जानता है[(1)(283)], अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और अगर जाहिर करो अपने दिल की बात या उसको छिपाओगे अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर बख्शेगा जिसको चाहेगा और अज़ाब करेगा जिसको चाहेगा। और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है[(2)(284)]।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. यानी अगर सफर में कर्ज और उधार का मामला करो और दस्तावेज़ लिखने वाला न मिले तो कर्ज के बदले अगर कोई यह चाहे कि एतिमाद के लिए कोई चीज़ गिरवी रख ले तो इसकी भी इज़ाजत है मगर इस गिरवी रखने का मक़सद सिर्फ यह है कि कर्ज देने वाले को अपने कर्ज की वापसी का इत्मीनान हो जाये, मगर उसे अपने दिये हुए माल के बदले में गिरवी रखी चीज़ से लाभ उठाने का हक नहीं है क्योंकि यह ब्याज है, हाँ अगर कोई जानवर गिरवी रखे तो उसका दूध इस्तेमाल किया जा सकता है, और उससे सवारी और बोझ ढ़ोने का काम लिया जा सकता है। क्योंकि वास्तव में यह उस चारे का बदला है जो बन्धक लेने वाला उस जानवर को खिलाता है एक बात और इस आयत में फरमाई गयी है कि जिस आदमी को किसी इख्तिलाफी मामले का सही इल्म हो वह गवाही को न छिपाये और अगर उसने छिपाया तो उसका दिल गुनहगार है, दिल को इस लिए गुनहगार फरमाया कि कोई आदमी इस को खाली ज़बान ही का गुनाह न समझे, क्योंकि सबसे पहले इरादा तो दिल से हुआ है, इसलिए पहला गुनाह दिल ही का है।

2. इस आयत में हिदायत की गयी है कि जिस प्रकार जाहिरी आमाल का हिसाब कियामत में लिया जायेगा उसी प्रकार आमाले बातिना (पोशीदा) का भी हिसाब होगा, और गलती पर पकड़ भी होगी, यह आयत सूर—ए—बकरा के आखीर में लाई गई है, इसमें बड़ी हिकमत है, क्योंकि सूर—ए—बकरा कुर्आन करीम की ऐसी बड़ी और अहम सूरह है जिसमें

शेष पृष्ठ .....13.....पर..

प्यारे नबी की प्यारी बातें

इल्म की फजीलत

—अमतुल्लाह तस्नीम

दीन की समझ फज़्ले खुदावंदी की अलामत है:-

हज़रत मुआविया रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला जिसके साथ भलाई करना चाहता है तो उसको दीन की समझ अता फरमाता है। (बुखारी—मुस्लिम)

हज़रत इब्ने मस्ऊद रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के हाल पर रश्क करना ठीक है एक उस आदमी पर जिसको अल्लाह तआला ने माल अता फरमाया और हक़ के साथ खर्च करने की तौफीक़ और सलीक़ा भी दिया, और दूसरा वह आदमी कि अल्लाह तआला ने उसको इल्म दिया है वह उस इल्म के मुताबिक लोगों में फैसला करता है और सिखाता है। (बुखारी—मुस्लिम)।

दीन की समझ हासिल करने वालों की मिसाल:-

हज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस इल्मो हिदायत के साथ मैं आया हूं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश, कि जमीन के एक हिस्से पर बारिश हुई, वह हिस्सा अच्छा है जिसने पानी को सोख लिया, वह जमीन हरी भरी हो गयी, खूब नये नये कल्ले फूटे, घास उगी, और उसी में दूसरा टुकड़ा था जो सख्त था, उसने पानी को रोक लिया जिससे तालाब और झील बने तो उस पानी से अल्लाह तआला ने खूब फायदा पहुंचाया, लोगों ने उससे पानी पिया, जानवरों को पिलाया, खेती सींची, और एक टुकड़ा जो चटयल मैदान है कि पानी सोखने और रोकने की उसमें सलाहियत ही नहीं, न उसने पानी को रोका, न चारा जमा, तो पहले हिस्से कि मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने दीन में समझ हासिल की और उस इल्मो हिदायत से जो मैं लाया हूं खूब नफा उठाया, सीखा और सिखाया, और आखरी हिस्से की मिसाल उन लोगों की तरह है जिन्होंने मेरी लाई हुई हिदायत को सुन कर कुबूल करना तो दूर सर भी न उठाया। (बुखारी—मुस्लिम)

एक आदमी की हिदायत भी अपार धन है-

हज़रत साहिल बिन सअ़द रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तआला तुम्हारे द्वारा एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो वह तुम्हारे लिए सुर्ख (लाल रंग के) ऊँटों से बेहतर है। (सुर्ख ऊँट अरब में कम पाये जाते थे इसलिए उनकी बड़ी कीमत लगती थी)।

(बुखरी मुस्लिम)

शेष पृष्ठ .....08...पर...

तवह्हुमात (अंधविश्वास)

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

तवह्हुमात, शब्द तवह्हुम का बहुवचन है, तवहहुम उस बात को कहते हैं जिसकी कोई वास्तविकता न हो मनुष्य ने अपने अनुमान से उसे मान लिया हो, इसी को हिन्दी में त्रुटि विश्वास कह सकते हैं, अगर उस अनुमानित बात से कोई हानि अथवा लाभ जोड़ दिया जाये तो उसे अंधविश्वास कहते हैं।

उदाहरण: कोई शख्स किसी काम के लिए निकला, रास्ते में बिल्ली सामने से निकल गई तो अनुमान किया कि काम ठीक न होगा, या कोई खाली घड़ा ले कर सामने से निकल गया तो कहा काम न होगा, इसी प्रकार कोई काम शुरु किया कि किसी को छींक आ गई तो अनुमान किया कि काम खराब होगा, किसी काम से निकले कि रास्ते में काना मिल गया कहा काम न होगा, लौट आओ, इसी प्रकार की बीसों बातें हैं जो अंधविश्वास में आती हैं।

इसी प्रकार भूत प्रेत का मानना और उनको हानि व लाभ पहुंचाने वाला मानना अंधविश्वास में आता है, यह सही है कि कहीं यह अनुमान इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आदमी को बीमारी में डाल देता है और कभी तो उसका समय पूरा हो चुका होता है तो यह अनुमान उसके प्राण ही ले लेता है, मौलवी इस्माईल मेरठी की उर्दू रीडरों में "बकरी का भूत" और "बाजे का भूत" पढ़ने योग्य हैं। मैं अपनी आंखों देखी लिखता हूं कि एक जगह के विषय में लोगों ने प्रसिद्ध कर रखा था कि उस जगह भूत रहता है, एक अच्छा हृष्टपुष्ट युवक फेरू नाम का रात में उस जगह से गुज़रा वह वहां बुरी तरह डर गया उसको तेज़ बुख़ार हो गया, मैं उसे देखने गया, मैंने उससे पूछा फेरू मामा वहां क्या हुआ? (मैं उसे गांव के रिश्ते से मामा कहता था) बोला भय्या भूत, सियार बन कर मेरे सामने आया मैंने उसे लाठी मारी तो वह बीस हाथ लम्बा हो गया, बस मैं कांपने लगा किसी तरह घर आया और अब यह हाल है।

वास्तव में फेरू पर ऐसा डर सवार हुआ कि उसे दिमागी बुखार हो गया, बुखार बढ़ता गया यहां तक कि उसका देहान्त हो गया। अब वह जगह भूत के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हो गई, और कोई रात में उस जगह से अकेले न निकलता, मेरी यह मुश्किल थी कि उसके क़रीब ही मेरा चार बीघे का खेत था, फिर भी मैं भी वहां रात में अकेले जाने से बचने लगा। लेकिन एक बार मैं कहीं गया हुआ था वापसी में देर हो गई और काफ़ी रात भी बीत चुकी थी, वापसी का वही रास्ता था, मैं घोड़ी पर सवार था, हाथ में मजबूत लाठी थी, जब उस जगह पहुंचा तो शरीर पर झुर झुरी सी लगी, मैंने देखा कि थोड़े फासिले पर कोई 10,12 फुट ऊँचा बहुत मोटा आदमी खड़ा है और अपने बड़े—बड़े

हाथ हिला रहा है, मैंने फैसला किया कि मुझे डर कर भागना न चाहिए अपितु उसके निकट जाना चाहिए, मैं स्वस्थ कसरती जवान, लाठी चलाने में निपुड़ था, मैंने घोड़ी को उसकी ओर मोड़ दिया, जल्द ही उसके पास पहुंच गया तो देखा कि बबूल का एक पेड़ है, उसकी शाखें मुझे हाथ लग रही थीं वह हवा से हिल रहीं थीं तो मुझे लग रहा था कि कोई बड़े बड़े हाथ हिला रहा है। मैं घोड़ी से उतरा और घोड़ी को करीब के दूसरे बबूल के पौधे से बांध दिया और लाठी से उस बबूल की शाखें झाड़ दीं (तोड़ कर गिरा दीं) जिनको देख कर मुझे धोखा हुआ था, अगर मैं भी फेरू मामा की तरह डर कर भागता तो मेरा भी वही हाल होता जो फेरू मामा का हुआ था। अगर मेरी मौत का वक्त न आया था तो न मरता मगर बीमार तो हो कर रहता तवह्हुमात (अंधविश्वास) की यह वह मिसालें हैं जिनको हर पढ़ा लिखा बुद्धिमान समझ सकता है कि इनकी कोई वास्तविकता नहीं। परन्तु कुछ तवह्हुमात इनसे कुछ जटिल हैं वह यह कि किसी को मिरगी का रोग हो जाता है या पागल पन हो जाता है उसको ओझा अथवा "आमिल" बताते हैं इस पर नट बीर का प्रभाव है, ब्रहम राक्षस का प्रभाव है जिन्न का असर है, फिर उससे झाड़ फूंक के इलाज पर अच्छा खासा खर्च करवाते हैं परन्तु कोई लाभ नहीं मिलता, रोगी के परिजनों को बहुत देर में समझ में आता है कि हम धोखे में थे वह तो जिन अथवा राक्षस का प्रभाव नहीं अपितु यह रोग है जिसका आरंभ में ठीक इलाज हो तो ठीक हो जाता है परन्तु रोग पुराना हो जाने पर ठीक होना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार कुछ और रोगों में लोग धोखा खाते हैं।

रोगों में इलाज के स्थान पर झाड़ फूंक कराना भी अंधविश्वास है, जैसे पीलिया के रोग में या गठिया आदि के रोग में, यहां याद रहे कि कुर्आने मजीद की बाज़ आयतें पढ़ कर दम करना और मंत्र पढ़ कर झाड़ने में फ़र्क़ है। कुर्आन की आयतें पढ़ कर फूंक डालने का मतलब होता है अल्लाह से दुआ करना अल्लाह से मदद चाहना इस अमल से रोग जाए या न जाए अल्लाह के आगे झुकने और उससे मदद मांगने में सवाब का लाभ कहीं नहीं जाता मंत्र में यह विश्वास होता है कि इससे रोग अवश्य चला जाएगा जब कि मंत्र से रोग नहीं जाता यह अंधविश्वास है।

कुछ लोग सांप, बिच्छू के विष उतारने के लिए मंत्र पढ़ कर झाड़ते हैं, मालूम होना चाहिए कि मंत्र से विष नहीं उतरता यह केवल अंधविश्वास है यहां भी कुर्आन की आयतें पढ़ कर दम करने का वही मतलब है जो ऊपर बयान हुआ। जिन मंत्रों में शिर्किया बोल होते हैं उनके पढ़ने से तो शिर्क भी हो जाता है।

कुछ लोग दिनों तारीखों तथा महीनों को अशुभ मानते हैं यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है, कोई दिन कोई तारीख अथवा कोई महीना मन्हूस (अशुभ) नहीं, हां कुछ दिन

तथा कुछ महीने अधिक शुद्ध अवश्य हैं परन्तु अशुभ कोई नहीं, जैसे जुमे का दिन अधिक शुभ है, परन्तु यदि कोई शुभ काम किसी और दिन इतवार आदि को किया जाये तो उसे अशुभ न जानें, इसी प्रकार मुहर्रम, रजब, जिकादा तथा जिलहिज्ज यह चार महीने हदीस से सिद्ध हैं कि अधिक सम्मान वाले तथा प्रतिष्ठित हैं परन्तु दूसरे महीने जैसे सफर आदि अशुभ कदापि नहीं हैं, इसी प्रकार सूर्योदय, मध्यान्ह तथा सूर्यास्त के समय जो नमाज़ से रोका गया है उसका कारण उनका अशुभ होना कदापि नहीं है, उसका कुछ और कारण है, इन समयों में कुर्आन पढ़ना, जिक्र करना अथवा किसी दूसरे शुभ कामों से नहीं रोका गया है।

बड़े खेद की बात है कुछ फारवर्ड (उन्नत प्राप्त) लोगों ने अंधविश्वास का मापदण्ड अपनी अज्ञानता से सवयं बना कर जो बातें अल्लाह के रसूलों (उन पर अल्लाह की दया हो) ने बताई परन्तु उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाये तो उनको भी अंधविश्वास में गिन लिया, जैसे जिन्न एक मख़्लूक़ है आग से बनाई गई हैं वह हमारी आंखों से ओझल रहती हैं, फिरिश्ते अल्लाह की मख़्लूक़ हैं नूर से रचे गये हैं वह हमारी आंखों से ओझल रहते हैं उनको अंधविश्वास में गिनना इस्लाम के विरुद्ध है, जिनों और फिरिश्तों को अल्लाह ने ऐसी शक्ति प्रदान की है कि वह जब अल्लाह चाहता है कोई दूसरा रूप धारण कर लेते हैं उस समय वह हमारी नज़रों से दिखते हैं, हज़रत जिब्रील फिरिश्ता जब मानव रूप में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आये तो सहाबा ने उनको देखा और उनकी बातें सुनीं, इसी प्रकार जिन्न ने भौतिक रूप धारण किया तो मनुष्य ने उस को देखा वह कब और किस नियम से अपना रूप बदलते या बदल सकते हैं यह एक मर्म (राज़) है जिससे हम अवगत नहीं हैं। इसी प्रकार कुछ फारवर्ड लोगों ने जन्नत तथा जहन्नम का इन्कार तो नहीं किया परन्तु उनकी व्याख्या अपने मन से की।

इन बातों से सिद्ध हुआ कि अंधविश्वास की व्याख्या केवल अपनी बुद्धि से करना सही नहीं है, हमारे निकट अंधविश्वास की व्याख्या इस प्रकार होना चाहिए।

जो बात किताब व सुन्नत (कुर्आन तथा हदीस) से सिद्ध न हो ना ही वह बुद्धि अथवा अनुभव से सिद्ध हो वह अंधविश्वास है औलियाउल्लाह (संयमी महापुरुषों) से करामात (चमत्कार) का होना सिद्ध है अल्लाह के रसूलों नबियों (उन पर अल्लाह का सलाम हो) से चमत्कार (मुअ़जिज़ात) का ज़ाहिर होना सिद्ध है उनका इन्कार अथवा उनको अंधविश्वास कहना पथ भ्रष्टता है, अल्लाह अपनी शरण दे, इस विषय पर यह भी पढ़ लीजिए—

ख़ारिक़े आ़दत होती नहीं दुन्या में कोई बात
जुज़ करामते औलिया और अंबिया के मुअ़जिज़ात
एक इस्तिदराज भी दिखता है आदत के ख़िलाफ़
पर उसे बातिल हैं करते अंबिया के मुअ़जिज़ात

ख़ारिक़े आदत= प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध, करामत= चमत्कार, औलिया= ईशप्रिय लोग, मुअ़जिज़ात= चमत्कार, अंबिया= ईशदूत, जुज़= सिवाए, इस्तिदराज= जादू अथवा शैतानीबात।

❖❖❖

प्यारे नबी की .....

तबलीगो दावत का हुक्म–

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया मेरी बात लोगों तक पहुंचाओ अगरचि एक ही आयत हो और बनी इस्राईल से सुनी हुई रिवायत बयान करो, इसमें कोई हरज नही और जिसने जान बूझ कर मुझ पर झूठ बांधा उसने अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना लिया।

(बुखारी–मुस्लिम)।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो आदमी इल्म की तलाश में कोई रास्ता चुनेगा तो अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। (मुस्लिम)

मुअल्लिम व मुबल्लिग का सवाब–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिसने किसी को हिदायत की ओर बुलाया तो हिदायत करने वाले को हिदायत पाने वाले के बराबर सवाब मिलेगा और हिदायत पाने वाले के सवाब में कोई कमी भी न होगी। (मुस्लिम)

सदक-ए-जारिया–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि इंसान के मरते ही उसके अमल खत्म हो जाते हैं लेकिन तीन चीजें बाकी रहती हैं–

(1) वह खैरात और सदक़ा जिसका फायदा जारी रहे, (2) वह इल्म जिससे मख्लूक़ को फायदा पहुंचे, (3) नेक औलाद जो माँ–बाप के लिए दुआ़–ए– खैर करे। (मुस्लिम)

आलिम व तालिबे इल्म की फजीलत–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते थे कि अल्लाह के जिक्र के अलावा और उसके मुतअल्लिकात (यानी जो काम खुदा की खुशी और सवाब की नीयत से किया जाये वह भी जिक्र में शामिल है) के, और आलिम और इल्म की तलब में मशगूल आदमी के दुन्या और दुन्या की हर चीज़ खुदा की रहमत से दूर है।

❖❖❖

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

—सच—

जिसको सच बोलने की आदत है
वह बड़ा नेक बा सआदत है
सच कहोगे तो दिल रहेगा साफ
सच से हो जायेंगे कुसूर माफ

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

"क़ुर्आन मजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तीन विशेषताएं बयान की हैं–"

1. आयतों की तिलावत
2. तज़किया
3. किताब व हिकमत की तालीम

इन विशेषताओं में रसूलुल्लाह ससल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विशेष सिफत आप सल्ल0 की सिफते तज़किया है। तज़किया का मतलब यह है कि आप सल्ल0 सिर्फ पढ़ कर सुना देने और सिर्फ समझा देने पर नहीं ठहरते बल्कि उस तिलावत व तालीम का रंग उन पर चढ़ा देते हैं, इस किताब व तालीम को उनके कानों और दिमागों से गुज़ार कर उनके दिलों और रूहों को रंगीन करते हुए उनके शारीरिक अंगों से जारी कर देते हैं। यही सिफ़त आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दुन्या के तमाम उपदेशकों और शिक्षकों से श्रेष्ठ करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उपदेशक व शिक्षक के अलावा "मुज़क्की" पाक साफ़ करने वाले भी थे और इसी लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुन्या के सबसे कामयाब मुरशिद व हादी (उपदेशक व मार्गदर्शक) थे। सहाबा की आश्चर्यजनक रूहानी, अख़लाक़ी, ज़ेहनी, अमली तब्दीली और इस्लाम की प्रारम्भिक सफलता का रहस्य यही था और आज की इस्लामी ज़िन्दगी के हर अंश में सबसे अधिक विशेष रूप में महसूस होती है।

दोस्त दुश्मन सब मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संगत में पारस की विशेषता थी, जिसको आपकी संगत मिल गयी वह खरा सोना नहीं बल्कि वह खुद पारस बन गया। जानवर इन्सान बन गए और इंसान फरिश्ते। उनकी ऐतिक़ादी, अख़लाकी, रूहानी तरबियत इतनी आला और मुकम्मल हुई जिससे ज़ियादा ख़्याल में नहीं आ सकती। जो आप सल्ल0 के पास बैठा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रंग में रंग गया, शरीअत के सांचे में ढल गया। शरीअ़त पर अमल बिला इरादा होने लगा। अल्लाह का आज्ञापालन करना आसान और प्रिय हो गया और अवज्ञा अप्रिय। यहां तक कि उम्मत का सहाबा के बारे में अकीदा है कि वह सबके सब आदिल (न्यायी) हैं और कम दर्जे के सहाबी भी बाद के बड़े से बड़े वलीउल्लाह से श्रेष्ठ हैं।

त्वरित परिवर्तन और अन्तःकरण से वशीभूत होने की घटनाओं से "सीरत" की किताबें भरी हैं: फुज़ाला बिन उमैर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फतह मक्का में तवाफ़ फ़रमा रहे थे मैं बुरे इरादे से आया, जब करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः फुज़ाला! कहो क्या सोच रहे हो? मैंने कहा

कुछ नहीं। अल्लाह का ज़िक्र कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हंसे और कहा फुज़ाला! अल्लाह से माफी चाहो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुबारक हाथ मेरे सीने पर रख दिया मेरा दिल ठहर गया। खुदा की क़सम अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हाथ नहीं हटाया था कि अल्लाह की सृष्टि में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़ियादा कोई चीज़ मेरी नज़र में महबूब नहीं रही। मैं वापस गया तो वह औरत मिली जिससे मैं बातें किया करता था। उसने कहाः आओ फुज़ाला बातें करें। मैंने कहाः इस्लाम के बाद यह नहीं हो सकता[1]।

हज़रत उमर बिन आस कहते हैं कि बैअत से पहले मेरी यह हालत थी कि मेरी नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़ियादा अप्रिय हस्ती दुन्या में कोई नहीं थी। मगर खुदा न ख़ुवास्ता मुझे मौका मिल जाता तो अपनी आक़िबत ज़रूर खराब कर लेता। लेकिन बैअत के बाद मेरी नज़र में आप सल्ल0 से ज़ियादा प्रिय और सम्मानित कोई व्यक्ति दुन्या में न था। यहां तक कि मैं नज़र भर कर आप सल्ल0 को देख नहीं सकता था, अगर कोई मुझसे आप सल्ल0 का हुलया पूछता तो वल्लाह मैं आप सल्ल0 का हुलया मुबारक नहीं बतला सकता था। इसलिए कि आप सल्ल0 को नज़र भर कर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी[2]।

अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने अपनी इन्हीं विशेषताओं और ज़िम्मेदारियों की बिना पर जो अल्लाह तआला की तरफ़ से उन को सौंपी गई थीं, एक तरफ अल्लाह के आदेश लोगों को बताए दूसरी तरफ मिज़ाज और तबिअतों को दीन के साँचे में ढालने का कर्तव्य भी पूरा किया। अल्लाह तआला की निशानियों को जिनसे अल्लाह तआला की मारफत (परिचय) हासिल होती है उनको बयान किया। लोगों में जो ऐब व बुराईयां पैदा हो गई थीं उनका सुधार किया। उनके चरित्र को पाकीज़ा बनाया, किताब की शिक्षा यानी अल्लाह के आदेशों से खबरदार किया, पवित्र आचरण के साथ ज़िन्दगी गुज़ारी जाए इसका उपदेश दिया, कुरआनी शिक्षा की रोशनी में गुमराहियों को दूर किया। अल्लाह की एक मात्रता और महानता का पाठ पढ़ाया। आप सल्ल0 ने अपनी नबूवत की ज़िम्मेदारी की अदाएगी के ज़रिए इंसानों के सुधार के सिलसिले में सफल शिक्षक और निपुण पोषक का कर्तव्य पूरा किया। अनपढ़ और पथ भ्रष्ट क़ौम को ऐसी शिक्षा दी और तरबियत की कि वह सारी दुन्या की सुधारक और अभिभावक बन गयी। और वह आप सल्ल0 की जमाअत के ऐसे ट्रेन्ड लोग थे कि जहां वह गए वहां उन्होंने चरित्र और आचरण में क्रान्ति पैदा कर दी। आप सल्ल0 की शिक्षा और दीक्षा का ऐसा प्रभावशाली तरीका होता था कि पहले मरहले में क्रान्ति आ जाती थी लेकिन यह बात अल्लाह तआला की मर्ज़ी के अधीन होती थी। अल्लाह तआला फरमाता हैः—

1. ज़ादुल मआद, इब्ने क़य्यिम।
2. सही मुस्लिम किताबुल ईमान।

"आप जिसे चाहें हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह तआला ही जिसे चाहे हिदायत करता है। हिदायत वालों से वही खूब आगाह है।" (अलक़सस–56)

जिसकी किसमत में पहले दिन से गुमराह रहना मुकद्दर था, उसकी हिदायत किसी भी मुअल्लिम व मुरब्बी के इख्तियार में न थी वह तो महरूम रहा, उन कुछ बदकिस्मतों के अलावा जिसकी तरफ आपकी तवज्जो हुई वह प्रभावित हुए बगैर नहीं रहा और यह भी अल्लाह तआला की मर्ज़ी थी, ऐसे इंसान से, जो अनपढ़ था उसने पढ़ने पढ़ाने का कहीं सबक नहीं लिया था और किसी ने उसको इसका तरीक़ा भी नहीं बताया था, अल्लाह तआला ने यह काम लिया जो दुन्या का बड़े से बड़ा मुअल्लिम भी नहीं कर सकता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी आपने असलन इल्म का सबक तो किसी से नहीं लिया था लेकिन आपमें इल्म की बुन्याद उच्चतम थी इस बुन्याद पर आपको आसमानी ज़रिये से इल्म बख्शा गया। आसमानी इल्म ज़िन्दगियों को बनाने की जो क्षमता रखता है वह ज़मीनी ज़रिये से हासिल होने वाली सलाहियत से बेहद श्रेष्ठ और असर रखने वाला होता है आपको उस आसमानी इल्म ने वह योग्यता प्रदान की जिसने इंसानों की दुन्या बदल दी और आपसे वह फायदा हर तरफ फैला जिसने इंसान को निचले स्तर से उठा कर बुलंद और उच्च स्तर का इंसान बना दिया और मानव जीवन के लिए ऐसा मार्गदर्शन दिया जो रहती दुन्या तक इंसानों को अन्तिम कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है और इंसान की आवश्यकता और उसके उच्च स्तर के अनुकूल इल्म प्रदान करता है। कुरैश के लोग जो आम तौर पर अनपढ़ थे उनके सामने उच्च कोटि की बातें आप सल्ल0 ने पेश कीं तो उन्होंने अहले किताब के आलिमों से मालूम करके आपको जांचने के लिए सवालात आप सल्ल0 के सामने रखे जिनके मुतअल्लिक़ उनका ख्याल था कि आप सल्ल0 न बता सकेंगे क्योंकि उनकी जानकारी आम इंसानों को इल्म के प्रचलित तरीक़े से ही हासिल हो सकती थी और आप उन प्रचलित तरीक़ों से नहीं गुज़रे लेकिन आपको आसमानी मुअल्लिम से हासिल हुआ था। कुरैशियों ने असहाबे कहफ़ का वाक़िया और जुल्क़रनैन का वाक़िया मालूम किया। हुजूर सल्ल0 को "वही" (ईश्वाणी) द्वारा जानकारी मिल गयी और आप सल्ल0 ने उनसे कुरैश को अवगत कराया। जिससे कुरैश के सामने यह बात स्पष्ट हो गई कि आप सल्ल0 जो कुछ कहते हैं वह ख्याली बातें नहीं हैं वह उस इल्म की सीरत (जीवन चरित्र) और आचरण का उत्तम निर्माण व संरचना के उचित मार्ग का इल्म है, जो इंसानों को तबाही से बचाने वाला और सही दिशा पर ले जाने वाला मार्ग है।

अतएव केवल आधी शताब्दी में दुन्या ने देख लिया कि इस इल्म की रहनुमाई में एक विश्व क्रान्ति आ गई और इंसानों की

ज़िन्दगियों का रुख पूरे तौर से बदल गया। इंसान मुकम्मल तबाही की ओर जा रहा था। आधी शताब्दी में वह उन्नति और सफलता के राजपथ पर चलने लगा और उस पथ पर चलने से दुन्या की उस समय की महान शक्तियां सर के बल झुक गयीं और वहां भी क्रान्ति आ गई। यह सब अल्लाह तआला की उस नबी आखिरुज़्ज़मा की तालीम व तरबियत का असर था जिसने ज़िन्दगी के हर रुख पर रहनुमाई प्रदान की और ज़िन्दगी के हर पहलू में कामयाबी और इज़्ज़त का नमूना बताया और रहबरी की।

अल्लामा सय्यद सुलैमान नदवी रह0 ने रसूलुल्लाह सल्ल0 के पूर्ण, विश्वव्यापी और न मिटने वाले जीवन चिन्ह, आप सल्ल0 की व्यापकता और परिपूर्णताः, समस्त मानव वर्ग एवं हर माहौल, हर ज़माना, हर पेशा और हर मामला तात्पर्य हर प्रकार के हालात और हर स्तर के लिए आप सल्ल0 की परिपूर्ण व व्यापक रहनुमाई और आदर्श की अतिप्रभावशील और तत्वपूर्ण शैली में व्याख्या की है वह लिखते हैं—

"एक ऐसा वैयक्तिक जीवन जो हर मानव वर्ग और हर हाल में इंसान की उचित भावनाओं और पूर्ण आचरण की मंजुषा हो वह केवल मुहम्मद सल्ल0 का जीवन चरित्र है। अगर तुम दौलतमंद हो तो मक्का के व्यापारी और बहरेन के कोषाधिकारी का अनुसरण करो, अगर तुम ग़रीब हो तो शअ़ब अबी तालिब के क़ैदी और मदीने के मेहमान की कैफ़ियत सुनो, अगर तुम बादशाह हो तो सुल्ताने अरब का हाल पढ़ो, अगर तुम फातेह हो तो बदर व हुनैन के सिपहसालार पर निगाह दौड़ाओ अगर तुमने शिकस्त खाई हो तो मारक—ए—उहद से नसीहत हासिल करो, अगर उस्ताद और मुअल्लिम हो तो सुफ़्फ़ा के दरसगाह के मुअल्लिमे कुद्स को देखो अगर तुम वाएज़ व नासेह (उपदेशक) हो तो मदीने की मस्जिद के मिंबर पर खड़े होने वाले की बातें सुनो, अगर तुम तन्हाई और बेकसी के आलम में हक़ के मुनादी का फर्ज़ अंजाम देना चाहते हो तो मक्का के बेयार व मददगार नबी का उसव—ए—हसना (आदर्श) तुम्हारे सामने है। अगर तुम हक़ की नुसरत (मदद) के बाद अपने दुश्मनों को ज़ेर (अधीन) और अपने मुख़ालिफों को कमज़ोर बना चुके हो तो फातेह मक्का का नज़ारा करो, अगर तुम कारोबार और दुन्यावी मेहनत व कोशिश का प्रबन्ध सुधारना चाहते हो तो बनी नज़ीर, ख़ैबर और फ़िदक की ज़मीनों के मालिक के कारोबार और व्यवस्था को देखो, अगर यतीम हो तो अब्दुल्लाह और आमिना के जिगर गोशे को ना भूलो अगर बच्चे हो तो हलीमा सादिया के लाडले को देखो, अगर तुम जवान हो तो मक्का के एक चरवाहे की सीरत पढ़ो, अगर तुम सफरी कारोबार में हो तो बसरा के कारवाने सालार की मिसाल ढूंढ़ो, अगर तुम अदालत के काज़ी हो और पंचायतों के सालिस (मध्यस्थ) हो तो काबा में नूरे आफ़ताब से पहले दाखिल होने वाले सालिस को देखो जो "हजरे असवद" को काबा के एक गोशे में खड़ा कर रहा है, मदीना की कच्ची मस्जिद के

सहन में बैठने वाले मुन्सिफ को देखो, जिसकी नज़रे इंसाफ में शाह व गदा और अमीर व ग़रीब सब बराबर थे, अगर तुम बीवियों के शौहर हो तो ख़दीजा रज़ि0 और आयशा रज़ि0 के मुकद्दस शौहर के पवित्र जीवन का अध्ययन करो, और अगर तुम औलाद वाले हो तो फातिमा रज़ि0 के बाप और हसन व हुसैन रज़ि0 के नाना का हाल पूछो, गरज़ तुम जो कुछ भी हो और किसी हाल में भी हो तुम्हारी ज़िन्दगी के लिए नमूना, तुम्हारे चरित्र के सुधार का सामान, तुम्हारे अंधकारमय जीवन के लिए हिदायत का चिराग और तुम्हारे पथप्रदर्शन के लिए हर समय और हर हर पल मुहम्मद सल्ल0 का प्रकाश मिल सकता है। इसलिए मानव जाति के हर क्षेत्र और नूरे ईमानी के हर खोजी के लिए मुहम्मद सल्ल0 का चरित्र हिदायत का नमूना और नजात का ज़रिया है, जिसकी निगाह के सामने मुहम्मद सल्ल0 की सीरत है उसके सामने नूह व इब्राहीम, अय्यूब व युनुस, मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलाम की सीरतें मौजूद हैं। मानो तमाम दूसरे अंबिया–ए–कराम की सीरतें, एक ही प्रकार की चीजों की दुकाने हैं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत, अख़लाक़ व आमाल की दुन्या का सबसे बड़ा बाज़ार है। जहां हर तहर के खरीदार और हर वस्तु के चाहने वालों के लिए बेहतरीन सामान मौजूद है[1]।

---

1. खुतबात मदरास, पृ0 90–98।

❖❖❖

कुर्आन की शिक्षा.....

खुदाई अहक़ाम का बड़ा हिस्सा आ गया है, इस सूरह में मौलिक व अमौलिक मआशो मआद के मुतअल्लिक अहम हिदायत, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, किसास, हज, जिहाद, पाकी, तलाक, इद्दत, खुलअ़, रिजाअ़त (दूध पिलाना) हुरमते शराब, सूद और कर्ज, लेन देन की जाइज़ नाजाइज़ तरीकों का तफसीली बयान आ गया है इसी लिए हदीस शरीफ में इस सूरत का नाम "सनामुल कुर्आन" भी आया है, यानी कुर्आन का सबसे बलंद हिस्सा, और इन तमाम अहकाम की तामील में सबकी रूह इख्लास है यानी किसी काम को करना या उससे बचना दोनों खालिस अल्लाह तआला की रिज़ा हासिल करने के लिए हों इनमें शोहरत व दिखावा या दूसरी स्वार्थ और खुदगरज़ी की बातें न हों, और जाहिर है कि इख्लास का तअ़ल्लुक दिल से है सब की दुरुस्तगी उसी पर निर्भर है इसलिए सूरत के आखीर में लोगों को तंबीह कर दी गयी कि फराइज की अदायगी या मम्नूआत से परहेज के मामले में तो हीले बहाने के जरिये भी बच सकते हो लेकिन हक तआला अलीम व खबीर है उससे कोई चीज छिपी नहीं है कयामत के दिन सबका हिसाब देना है यही वह रूह है जो कुर्आन करीम इंसानों में पैदा करता है कि इंसान दिन के उजाले और रात के अंधेरे हर समय अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए डरता है।

❖❖❖

—प्रस्तुति—

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

अर्शे इलाही के साये में

—प्रस्तुति जमाल अहमद नदवी, सुलतानपुरी —हजरत मौ0 सै0 अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0

हजरत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः सात आदमी हैं जिन पर अल्लाह तआला "कियामत के दिन" अपना साया करेगा, जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया न होगा। (1) मुंसिफ हाकिम (2) वह नौजवान जिसने अल्लाह की इबादत में परवरिश पाई (3) नमाज़ का ऐसा पाबंद आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा रहे (4) वह दो आदमी जो अल्लाह के लिए आपस में महब्बत करें (5) ऐसा आदमी जिसको हैसियत वाली और हसीन व खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे, और वह यह कहता हुआ इंकार करदे कि मैं खुदा से डरता हूं (6) ऐसा आदमी जो इस तरह छुपा कर सद्क़ा करे कि बायां हाथ भी न जाने कि दायें हाथ ने क्या खर्च किया है (यानी करीब तरीन शख्स़ को भी सद्क़ा करने का इल्म न हो), (7) ऐसा आदमी जिसने तनहाई में खुदा को याद किया और उसके आंसू बहने लगें (बुखारी—मुस्लिम)।

फायदाः- जब कियामत बरपा होगी और गर्मी का सख़्त आ़लम होगा, और सूरज की सख़्त गर्मी वाली कैफियत होगी, तो उस समय अच्छे अच्छे हैरान व परेशान होंगे और सब अपने अपने पसीने में डूबे होंगे, उस समय अल्लाह आपस में महब्बत करने वालों को पुकारेगा कि मेरी अ़ज़मत की वजेह से महब्बत करने वाले कहां हैं, आज मैं उनको साया देता हूँ, यही लोग होंगे जिनको अल्लाह अपने साये में जगह इनायत फरमायेगा।

इन सात प्रकार के आदमियों में जो अस्ल और कीमती सिफत है जिसकी वजेह से यह साया नसीब होगा वह यह है कि जो काम उनके लिए बहुत मुश्किल हैं वह काम वह अपने लिए आसान कर लें चाहे दिल पर जो गुजर जाये, यानी गलत काम करने के अवसर भी उपलब्ध हों और सारी सलाहियतें भी मौजूद हों, लेकिन अल्लाह ने चूंकि हुक्म नहीं दिया है, इसलिए वह कार्य न कर रहा हो अब जो आदमी इसमें जितना आगे होगा उतना ही उस साये में भी वह सबसे आगे होगा।

मुंसिफ हाकिमः- वह इमामे आदिल है, यानी ऐसा बादशाह और हाकिमे वक्त जिसके हाकिम होने की वजह से उसके एक एक आडर की तामील की जाती है क्योंकि उसके पास दुन्या का जितना साजो सामान, जाहो जलाल हो सकता है, वह सब उसको हासिल होता है, वह जिसके साथ जो चाहे कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई हाकिमे वक़्त इंसाफ का खून नहीं करता, और इंसाफ के साथ काम करता है, तो ऐसे हाकिम का मक़ाम सबसे बुलंद है।

इबादत गुज़ार नौजवानः-

वह नौजवान है, जिसके अंदर पूरी तरह जवानी पाई जाती हो और जवानी के जितने असबाब हैं वह सब प्राप्त हों, लेकिन उसके साथ साथ वह अल्लाह की इबादत में पला बढ़ा हो, तो ऐसे नौजवान को अल्लाह अपने साये में जगह देगा, इसलिए की जवानी की इबादत भी जवान होती है और बुढ़ापे की इबादत बूढ़ी होती है, गोया दोनों की इबादतों में फर्क होता है, यानी जिसने जवानी ही से इबादत की हो तो उसको हमेशा जवानी हासिल रहेगी यानी उसके बुढ़ापे की इबादत भी जवान रहेगी, लेकिन अगर किसी ने जवानी में इबादत नहीं की, बल्कि बुढ़ापे में की तो उसकी इबादत चाहे कैसी हो, लेकिन बूढ़ी रहेगी, क्योंकि जवानी के दिन खेलने, टहलने, रंग रलियां मनाने के समझे जाते हैं, इसीलिए जवानी के मुतअल्लिक़ हदीस शरीफ में यह भी आता है कि जवानी जुनून यानी पागलपन का एक हिस्सा है, इसीलिए उमूमन इंसान अपनी जवानी को गलत जगह खर्च करता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जवानी को सही जगह पर लगाते हैं।

लेकिन आज कल का माहौल इस कद्र खराब हो चुका है कि उमूमन लोग यही समझते हैं कि जवानी से इबादत का कोई तअ़ल्लुक़ नहीं है, बल्कि कभी कभी अगर कोई नौजवान दीनी कामों में दिलचस्पी लेने लगता है तो उसके घर वाले भी परेशान हो उठते हैं कि अभी से दाढ़ी रख ली, और इबादत में लग गया, एक नौजवान साथी के बारे में मालूम हुआ कि वह एक बड़े पोस्ट पर हैं बड़े दीनदार हैं कुछ दिनों पहले उनकी दाढ़ी मुंडी हुई थी लेकिन अब वह दीन के काम में लग गये हैं, जिसके बाद उन्होंने दाढ़ी रखली है, लेकिन जब उन्होंने दाढ़ी रखी थी तो उसके बाद अपने घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके वालिद का कहना था कि दाढ़ी वाले चोर होते हैं लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया और फज्र के बाद से इशराक तक अपने अवरादो वज़ाइफ का मामूल भी रखा, जिसको वह मस्जिद ही में अदा करते थे लेकिन इस पर भी वालिद साहब नाराज होते थे कि अभी जवानी की हालत में बुजुर्गी सवार है, निःसंदेह आज अगर कोई नौजवान दीन के कामों में लग जाता है तो मजमूई तौर पर उसको समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है, जब की जवानी की इबादत गैर मामूली होती है कि अगर कोई शख़्स जवानी से नेक आमाल करता रहेगा तो उसके बाद जब बुढ़ापा आयेगा तो ऐसे शख़्स की इबादतें जवान ही रहेंगी, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह तआ़ला से सही तौर पर जुड़ जाती है वह जवान हो जाती है, फिर उसके अंदर कभी बुराई नहीं आती, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रह0 के आखिरी बेटे की पैदाइश उस समय हुई जब वह अस्सी वर्ष के थे, इस पर कुछ लोगों ने प्रश्न किया, और कहा कि इस उम्र में

बच्चे का जन्म? तो मौलाना ने पहले मज़ाक में फरमाया: मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन सुनने की वह बात है जो उसके बाद कही, फरमाया जवानी में मैंने अपनी हिफाजत की, बुढ़ापे में खुदा ने मेरी हिफाजत की (यानी अल्लाह ने मेरी जवानी बाकी रखी) और इस उम्र में भी मुझे कोई कमजोरी नहीं है।

अच्छा और बुरा दिल– तीसरा वह आदमी है जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लटका रहता हो, यानी कोई इंसान मस्जिद से निकलते ही मस्जिद की फिक्र में रहे, बाजार में नही, अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने इरशाद फरमाया सबसे बुरी जगह बाज़ार है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, इससे मालूम हुआ कि जिस शख़्स का दिल सबसे अच्छी जगह से लटका रहेगा, तो उसका दिल भी अच्छा रहेगा, अगर बुरी जगह से लटका रहा, और उसी को पसंद करता रहा तो उसका दिल सबसे बुरा होगा, इसीलिए जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है तो वह सबसे अच्छे दिल वाला होता है, लिहाजा उसका दर्जा सबसे ऊँचा होता है, अल्लाह तआ़ला ने पांचों नमाज़ों का निजाम ऐसा तै फरमाया है कि अगर आदमी अपने को उनका पाबंद बना ले तो अपने कारोबार के साथ भी इस फज़ीलत को पा लेगा।

दो महब्बत करने वाले– चौथे वह दो लोग हैं जो अल्लाह के लिए आपस में महब्बत करने वाले हों, और अल्लाह के लिए ही मिलने वाले हों, और अल्लाह ही के लिए अलग होने वाले हों, तो ऐसे लोगों के मिलने में भी खास बरकत होगी, और जुदा होने में भी खास बरकत होगी, हज़रत मौलाना मुहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रह0 जो बड़े बुजुर्ग और सच्ची महब्बत करने वाले थे उन्होंने अपने एक शेअ़र में सही महब्बत करने वालों का नक़्शा खींचा है।

जो हैं अहले महब्बत मज़ा
महब्बत का पा रहे हैं।
कभी महब्बत से आ रहे हैं
कभी महब्बत से जा रहे हैं।।

मालूम हुआ कि जिसके आने और मिलने से खुशी व मज़ा आये उसकी महब्बत सच्ची व सही, और जिसके मिलने व आने से दुख हो उसकी महब्बत में खोट है।

महब्बत का नुस्खा– यह एक हकीकत है कि दुन्या में महब्बत के बिना जिन्दगी गुज़ारने का कोई लाभ नहीं है, इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि तुम जन्नत में ईमान वाले हुए बिना न जाओगे, लेकिन शर्त के तौर पर यह भी फरमाया गया है कि यह ईमान आपस में महब्बत करने से पैदा होता है, और यह आपस की महब्बत एक दूसरे से खूब सलाम करने से पैदा होती है हदीस शरीफ में इरशाद है कि "आपस में सलाम को खूब फैलाओ" ताकि महब्बत आम हो, और जब महब्बत आ़म होगी तो दिल की बीमारियाँ बुग़ज़, हसद कीना कपट, सब दूर होंगे, फिर जिससे मिलेगा अल्लाह के लिए मिलेगा तो वह इस नेमत का हकदार होगा।

पाक दामन इंसान– पाँचवां वह आदमी है जिसको कोई खूबसूरत औरत बुराई के लिए आमादा करे, और वह

औरत खानदानी एतिबार से भी अच्छे और बड़े घराने की हो वह किसी को बुराई की दावत दे, लेकिन उस पर भी वह आदमी कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ इसलिए ऐसा गलत काम नहीं कर सकता तो ऐसे आदमी को अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा।

सद्क़ा खैरात छुपा कर करना— छठा वह आदमी है जो सद्क़ा करे और इतना छुपा कर करे कि बायें हाथ को खबर न हो कि दाहिने हाथ ने क्या दिया है, सही मानों में अल्लाह तआला के नज़दीक वही सद्क़ा क़ाबिले कबूल है जिसमें किसी को तकलीफ न पहुंचाई जाये, और न किसी पर एहसान जताया जाये, बल्कि अपने ऊपर अल्लाह का बहुत करम समझा जाये कि उसने हमको ऐसे लोगों से मिला दिया जिनको हम सद्क़ा दे सकें, और ज़कात का माल खर्च कर कसें, अगर यह न मिलते तो हम क्या करते, अगर यह बात दिमाग में रहेगी तो न किसी को तकलीफ देगा, न एहसान जतायेगा, न अपने को बड़ा समझेगा जब खर्च करने के बाद भी दिल में यह बातें न होंगी तो उसका दर्जा बहुत बुलंद हो जायेगा, और उसको अर्श का साया नसीब होगा।

अकेले में छुप कर रोना— सातवां वह आदमी है जो अकेले में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह पड़ें, ऐसा न हो कि लोगों में खूब रोता हो और अकेले में एक आंसू भी न निकलें, यह बात अल्लाह को पसंद नहीं, जबकि आज कल यह फन रिवाज के दर्जे को पहुंच चुका है, क्योंकि ऐसा रोना, रुलाना, और मजमे में रोने जैसा माहौल बनाना शीआ हजरात के यहां भी बहुत है बल्कि उनके यहां तो इसकी ताईद में एक गढ़ी रिवायत भी है।

"मन बका व अबका व तबाका फ़क़द वजबत लहू अलजन्नह"

अनुवादः यानी जो रोया, और रुलाया और रोने जैसा माहौल बनाया तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गयी। लेकिन अहले सुन्नत वल जमाअत के मज़हब में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि यह बहके हुए, भटके हुए, और इधर उधर निकले हुए लोगों की बातें हैं लेकिन इस्लाम में हर चीज़ सही और प्राकृतिक है हां अगर किसी को लोगों के सामने खुद बखुद रोना आ जाये तो इसमें कोई मलामत नहीं है, हज़रत उमर खलीफये दोयम रज़ि0 के बारे में आता है कि जब आप फज्र की नमाज़ में सूर—ए—कहफ और सूर—ए—यूसुफ की तिलावत फरमाते थे तो उनके रोने की आवाज़ पिछली सफ तक जाती थी, इसी प्रकार हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रह0 के उस्ताद शैख खलील अरब सा0रह0 के बारे में आता है कि आप जब फज्र की नमाज़ पढ़ाते थे तो कभी भी बगैर रोये नमाज़ मुकम्मल न होती थी, यही कैफियत हज़रत मौलाना की भी तन्हाई में रहा करती थी लेकिन मजमे में बहुत कम ही रोना आता था अल्लाह तआला हम सबको अपने अर्श का साया सिर्फ और सिर्फ अपने फज़्ल से नसीब फरमाये।

आमीन

❖❖❖

पैदाइशी मुसलमान होने का घमण्ड

—इं0 जावेद इक़बाल

श्री कुलदीप नय्यर भारत के एक जाने माने मशहूर पत्रकार हैं, वह अनेक किताबों के लेखक हैं। उनका जन्म वर्ष 1923 में 14 अगस्त को सियालकोट में हुआ था। उस समय पाकिस्तान वुजूद में नहीं आया था। उन्होंने भारत का बटवारा अपनी आंखों से देखा ही नहीं बल्कि बटवारे के दुखों को स्वयं झेला भी है। वह अनेक किताबों के लेखक हैं, उन्होंने अनेक राजनैतिक लीडरों के इन्टरव्यू लिए हैं, उन प्रमुख लीडरों में प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू, प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल, कशमीर के शेख अब्दुल्लाह, इत्यादि शामिल हैं। इन सबके विचारों को उन्होंने अपनी किताबों में क़लमबंद कर दिया है।

वर्ष 1990 में वह ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। वर्ष 1996 में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में शिर्कत की थी। वर्ष 1997 में वह राज्य सभा के सदस्य भी चुने गए थे। उनके लेख चौदह भाषाओं के मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। इस समय उन की आयु 92 वर्ष हो चुकी है।

देश विभाजन के समय सरहद के दोनों ओर होने वाले नरसंहार की अनेक घटनाओं को उन्होंने देखा।

उन्होंने इस सिलसिले में एक सिख लड़की की घटना लिखी है जिसका सारांश इस प्रकार है:—

हिन्द पाक विभाजन के समय जब भगदड़ मची हुई थी उस समय एक सिख लड़की अपने माँ—बाप से बिछड़ कर रावलपिण्डी में रह गई थी उसको एक मुसलमान ने पाला पढ़ाया लिखाया, कुरआन पढ़ाया, इस्लाम पढ़ाया, वह बड़ी हो गई तो उसकी शादी कर दी, वह इस्लाम से पूरी तरह अवगत थी, अपितु इस्लाम धर्म की अध्यापिका थी वह एक बच्चे की माँ बन गई, बच्चा जवान हो गया तो लोगों को मालूम हुआ कि वह किसी सिख की बेटी है तो लोग उससे घृणा करने लगे, पास पड़ोस के लोग तथा उसका बेटा और उसका शौहर सब उससे घृणा करने लगे उसका जीवन अजीरन हो गया, अन्ततः उसने विवश हो कर आत्म हत्या कर ली। सच यह है कि यह वास्तविक घटना नहीं है, किसी ने गढ़ कर फैलाई है।

इस्लाम में कोई व्यक्ति किसी नव मुस्लिम या नव मुस्लिमा से घृणा नहीं करता है अपितु उसका आदर सम्मान करता है यदि कोई मुसलमान ऐसा करता है तो वह मूर्ख है अपनी मूर्खता से ऐसा करता है अगर कोई मुसलमान जान बूझ कर अपने जन्म जात अथवा पैत्रिक इस्लाम पर घमण्ड करते हुए किसी नव मुस्लिम अथवा नव मुस्लिमा से घृणा

करता है तो उस मुसलमान का इस्लाम संदिग्ध है।

मालूम होना चाहिए कि ईरान की भीषण लड़ाई में ईरान का बादशाह यज़्दगर्द पराजित हो कर भागा और मुसलमानों को विजय प्राप्त हुई तो बादशाह की बेटी शहर बानो मुसलमानों के साथ मदीना मुनव्वरा आई और उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो उसका इतना सम्मान हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नवासे और सहाबी हज़रत हुसैन रज़ि0 ने उससे निकाह कर लिया और उसी की कोख से उम्मत के बड़े बुज़ुर्ग हज़रत ज़ैनुल्आबिदीन रह0 का जन्म हुआ। इस्लाम लाने के बाद इस्लामी समाज में किसी व्यक्ति का तृस्कार अथवा अपमान नहीं किया जाता है इस्लाम लाने से पहले उसका सम्बंध चाहे जिस कुल से रहा हो अथवा धर्म से इस्लाम लाने के बाद वह पुरुष हो अथवा स्त्री वह मुसलमानों का ईमानी संबंधी बन जाता है और मुसलमान उसका भरपूर आदर सम्मान करते हैं।

मालूम होना चाहिए कि *"अल्लाह के निकट सबसे अधिक प्रतिष्ठित मुसलमान वह है जो अल्लाह तआला से सबसे अधिक डरने वाला है अर्थात सबसे अधिक संयमी है"। (हुजरातः 13)*

यहां एक बात का उल्लेख उचित लगता है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने नये धर्म की खोज की बात की थी तो लखनऊ से डॉक्टर अब्दुल अ़ली रह0 ने अपने छोटे भाई हज़रत मौलाना अली मियां रह0 को उनके पास भेजा था कि वह डॉक्टर अम्बेडकर को इस्लाम का परिचय दें चलते समय उनके गुरु ख़लील अरब ने कहा था, कि अगर डॉक्टर साहब कहें कि इस्लाम लाने पर मेरी शादी कहां से होगी तो कहना एक अ़रब वंश का विद्वान अपनी बेटी देने को तैयार है। हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपने जन्म जात अथवा पैतृक इस्लाम पर घमण्ड न करे और किसी मुसलमान का चाहे वह नव मुस्लिम हो अथवा पैत्रिक मुसलमान हो अपमान न करे, उससे घृणा न करे। यह सच है कि हिन्द पाक विभाजन के समय दोनों तरफ़ की भगदड़ में अत्याचार ने अपनी सारी सीमाएं पार कर ली थीं परन्तु उनको भुला देना ही अच्छा है यह सत्य है कि उस समय बाज़ मुसलमान लड़कियां सिखों के घर चली गई थीं इसी प्रकार बाज़ सिख लड़कियां मुसलमानों के हाथ लग गई थीं, वहीं उनकी ज़िन्दगी गुज़र गई थी, बाज़ साधनों से मालूम होता है कि बाज़ मुसलमान लड़कियां सिख घरों में आख़िर तक तौहीद पर क़ाइम रहीं यह अलग बात है कि वह नमाज़ रोज़ा न कर सकीं लेकिन कलमे पर जमी रहीं और चूंकि सिख समाज में मूर्ति पूजा नहीं है इसलिए वह शिर्क से बची रहीं उम्मीद है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करेगा। इसी प्रकार बाज़ सिख लड़कियां मुसलमान घरों में पली बढ़ीं इस्लाम सीखा नमाज़ रोज़ा और हज भी किया तथा गुरु नानक से प्रेम भी रखा, गुरु नानक स्वयं मक्का मुकर्रमा जा चुके थे। उनका डफाली "मर्दाना" मुसलमान था

शेष पृष्ठ.....23.... पर

मुसलमानों के नवीन पीढ़ी के इस्लामिक प्रशिक्षण की आवश्यकता

—हिन्दी भावार्थः राशिदा नूरी —हज़रत मौ0 सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

इस्लामिक सभ्यता तथा उसके अनुकूल मुसलमानों की नवीन पीढ़ी को तैयार करना यही नहीं कि वह बड़ा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य है अपितु वह कई परिस्थितियों वाला तथा सोच विचार और ध्यान वाला कार्य है। यह मां की गोद से आरम्भ होता है और जवानी तक विभिन्न रूपों में जारी रहता है इसमें अलग—अलग हर एक की देख रेख, संरक्षण रखना, प्रवचन तथा उपदेशों से प्रभावित करना प्रभावकारी वातावरण बनाना, इस्लामिक शिक्षा तथा दीनी सूचना प्रसारण के साधनों से काम लेना एवं अपने स्वाभाव और प्रभाव के दबाव से भी काम लेना पड़ता है इन सभी उपायों तथा विधियों से भलीभांति काम लिया जाऐ और युवकों के सुधार पर ध्यान दिया जाये तो ऐसी पीढ़ी तैयार हो सकती है। जो अपने दीन तथा नैतिक मूल्यों की प्रतिबन्धित और उनकी मांगों को पूरा करने वाली होगी, यदि इस विषय में कोताही की जायेगी या अचेतना बरती जायेगी तो जितनी कोताही की जायेगी उसी के अनुकूल विकार पैदा होगा।

इस विषय में इस बात की चिंता होनी चाहिए कि बच्चा उन बातों से प्रभावित हो और उनको ग्रहण करे जो इस्लामिक आचरण का निर्माण करने वाली हों और दीन इस्लाम को सुदृढ़ करने वाली हों। माँ की गोद और घर के वातावरण के पश्चात मदरसे की मंजिल आती है अर्थात मदरसे का काम आरम्भ होता है मदरसे में ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है जो बच्चे की बुद्धि तथा प्रवृत्ति को शुद्ध दिशा में चलाये, दूसरी ओर महल्ला तथा समाज के वातावरण को ऐसा बनाना होता है जिसमें नव युवक, इस्लामिक आचरण का वातावरण पा सकें और उसी के अनुकूल अपने आचरण संवार सकें, सुधार के इन सब उपायों तथा प्रयास के प्रणाम स्वरूप नई पीढ़ी इस्लामिक आचरण वाली बन सकती है और एक सम्मानित मिल्लत के रूप में अपनी इस्लामिक विशेषताओं के साथ उभर सकती है और उसको दुन्या में सम्मान का स्थान प्राप्त हो सकता है अन्यथा उन दूसरी क़ौमों के अधीन हो कर रह जाऐगी जिनसे वह प्रभावित होगी। आज इस्लामी समाज में जो इस्लामिक मूल्यों तथा आचरणों का लुप्तिकरण हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि समाज के वातावरण में मुस्लिम नव युवकों का इस्लाम के प्रतिकूल वातावरण से मुकाबला है, दूसरी ओर घर के वातावरण से ले कर मदरसे के वातावरण तक नव युवकों को इस्लाम के विरुद्ध बातों से बचाने का कोई प्रबंध नहीं है ऐसे समाज में नई पीढ़ी को कुछ सांसारिक लाभ तो मिल जाता है लेकिन उनके इस्लामिक जीवन के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया

है, उस ग़ैर इस्लामी वातावरण से हमारी नई पीढ़ी जो कुछ सीख रही है उसका इस्लाम से कोई जोड़ नहीं है। इस्लामिक आचरण और इस्लामिक मूल्य जो हमको बहुत प्रिय हैं। वह हमको मानव जगत में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। मुस्लिम युवक बड़ा साहसी वीर तथा प्रतिष्ठित होता है वह मानवता प्रेमी तथा नेतृत्व की योग्यता रखता है। उसका जीवन नियमित होता है। इस्लामिक इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज इस्लामिक शिक्षाओं तथा आचरणों की सुरक्षा का बड़ा प्रबंध करते थे घर में जब बच्चा अच्छा बुरा समझने लगता उसी समय से उसको इस्लामिक विश्वास इबादात तथा इस्लामिक आचरण सिखाने का प्रबन्ध किया जाता। यद्यपि इसमें कुछ कोताहियां हो जाती परन्तु मौलिक आवश्यक इस्लामिक शिक्षायें दृढ़ करने में कोताही न होती। प्रणाम स्वरूप अगली पीढ़ी इस्लाम से अवगत रहती और इस्लाम पर जमी रहती जिसके उदाहरण आज भी दिखाई देते हैं। परन्तु आधुनिक युग में दशा बदल चुकी है अब नई पीढ़ी को इस्लाम सिखाने और उनके इस्लामिक मूल्यों को बचाने की चिंता में बड़ी शिथिलता बरती जा रही है। फल स्वरूप इस्लामी समाज की नई पीढ़ी से इस्लाम की मोहलिक बातें लुप्त होती जा रही हैं। दूसरी ओर आधुनिक काल के विचार तथा सभ्यता के प्रभाव से एक विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न हो रहा है। यूरोप के विचार और उसकी सभ्यता के प्रभुत्व से पुराने इस्लामिक मूल्य टूटकर ऐसे नवीन नियम सामने आ रहे हैं जो इस्लाम के विपरीत तथा उसके विरुद्ध हैं। और वह इस्लामी सोच विचार के समक्ष उल्टी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। इस्लामिक आचरण का बहुमूल्य नियम लज्जा है। जो आख़िरत (पारलौकिक जीवन) की पकड़ के भय से पैदा होती है। और आर्थिक, राजनैतिक तथा जीवन की दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा दूसरों के साथ भले स्वभाव आदि मानव सहानुभूति से उभरते हैं। पश्चिमी सभ्यता में इस प्रकार की कोई भी कल्पना नहीं है उनके यहां आख़िरत की पकड़ का कोई तसव्वुर नहीं है। उनके यहां अगर कोई चीज़ है तो केवल वह समाज की मलामत का आभास है। अगर उनको समाज की निंदा का भय न हो तो वह कोई भी अपराध कर सकते हैं। इसलिए कि न तो उनके यहां सहानुभूति का कोई मूल्य है न आख़िरत (अगले जीवन) में पकड़ और दण्ड का भय है। उनके सामने केवल भौतिक तथा सांसारिक लाभ रहता है। नारी की सुन्दरता उनके लिए बड़ा महत्व रखती है अतः वह नारी को सुन्दर बनाने और उसको दिखाने का बड़ा प्रबन्ध करते हैं। अतएव नारी के सुन्दर अंगों को खुला रखना उनकी सभ्यता का भाग्य है। जबकि इस्लाम उसे फितने (विकार तथा उपद्रव) का कारण बताता है। अतः नारी की सुन्दरता का निखार और दिखावा इस्लाम में बुराई का कारण बताया गया है। चूंकि पुरुष का शरीर कोई आकर्षण नही रखता है अतः उसके शारीरिक अंगों का खुला रहना पश्चिमी सभ्यता में प्रिय नहीं है। अतः वह अपना पूरा शरीर ढ़के रहता है। इस्लाम और यूरोप की सभ्यता में कई

बातों में प्रतिकूलता है। स्त्री तथा पुरुषों के समागम में अलग अलग नियम हैं। सामूहिक तथा पृथक जीवन में नैतिक नियमों में खुला अंतर मिलता है।

यूरोप की सभ्यता में नारियों तथा पुरुषों की समानता ने उनकी योग्यताओं की अन्देखी की गयी है। जो इस्लामी मसावात (समानता) के विरुद्ध है। इस्लाम में मसावात को मानव अधिकार माना गया है। परन्तु पश्चिमी सभ्यता की समानता तथा इस्लामी मसावात में बड़ा अंतर है। उनके यहां स्त्री हर दशा में पुरुष के बराबर समझी जाती है। जबकि दोनों में प्राकृतिक शारीरिक अंतर है। फिर भी देखने में ये आता है कि यूरोप में स्त्री को व्यवहारता पुरुषों के समान, समानता प्राप्त नहीं है। उसको श्रम के साधारण कामों में लगाया जाता है। तथा उत्तरदायित्व वाले उच्च कामों में उसको बहुत कम अवसर दिया जाता है। इस्लाम स्त्री को मानवता के आधार पर मर्द के बराबर रखता है। और दोनों को समान सम्मान देता है। परन्तु शारीरिक बनावट में उसकी कमी को सामने रखता है। और व्यवहारिक क्षेत्र में इस शारीरिक अंतर को सामने रखता है। यूरोप की सभ्यता फैलने और उस पर रोक न लगाने के कारण इस्लामी तथा यूरोपीय सभ्यता गड मड हो रही है। ऐसा इस्लामिक नियमों के आधार पर सुधार न करने के फलस्वरूप हो रहा है। आवश्यकता इस बात की थी कि इस्लाम की नई पीढ़ी को पश्चिम की सभ्यता की उन बातों से बचाया जाता जो इस्लाम और इस्लामिक आचरण के विरुद्ध हैं। दुन्या में जितने भी सामाजिक नियम हैं सबके अपने–अपने दृष्टकोण हैं। उनमें से अधिकांश इस्लामिक दर्शन तथा इस्लामिक नियमों से भिन्न हैं। अतएव जब हम किसी दूसरे समाज के अथवा दूसरे धर्मों के नैतिक नियमों के माप दण्डों को अपनाते हैं तो उनमें हमको इस्लामिक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। उनमें सांसारिक जीवन की कुछ समस्याओ का निवारण अवश्य मिलता है। परन्तु इस्लामिक जीवन की समस्याओं का निवारण पूर्णतः नहीं मिलता। अपितु उनसे नई समस्याऐं पैदा कर देते हैं। आवश्यकता थी कि पश्चिमी सभ्यता की लाभप्रद बातों को अपनाने में इस्लामिक नियमों को आधार बनाया जाता। परन्तु खेद है कि पश्चिमी सभ्यता तथा इस्लामिक एवं पूर्वी सभ्यता में जो प्रतिकूलता है उस पर हमारे इस्लामिक विशेषज्ञों ने ध्यान नहीं दिया और उसके परिणामों की अनदेखी की। यद्यपि उनके परिणाम बहुत प्रभावकारी रहे हैं। हमको यह भलिभांति समझ लेना चाहिए कि यदि हमने नई पीढ़ी के सामने इस्लामिक नियमों और आचरणों को कुशलता पूर्वक प्रस्तुत करके उनको परिपक्व न कर दिया तो वह विश्व की बड़ी शक्तियों की सभ्यता के सामने अपने इस्लामिक नियमों के साथ टिक न सकेंगे और उसको अपनाने पर विवश हो जायेंगे। इस प्रकार दो विलोम सभ्यताओं के मिश्रण से एक बेजोड़ जीवन प्रणाली उत्पन्न होगी। जो इस्लामिक समाज के लिए बड़ी हानिकारक होगी। अतः हमारे लिए इस्लामिक नियमों के आधार पर नई पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण के नियम बनाना

आवश्यक है। भारत में तो पश्चिमी सभ्यता के साथ हिन्दू सभ्यता का इस्लामिक सभ्यता से टकराव भी है। जिसका मुसलमानों की नई पीढ़ी का स्कूल, कालेज, बाज़ार और समाज में संपर्क रहता है। और उससे बचने का कोई प्रबन्ध नहीं। अतएव मुसलमानों की नई पीढ़ी में हिन्दू सभ्यता तथा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। तहारत (पवित्रता) हया (लज्जा) की इस्लाम में जो विशेषता है वह हिन्दू सभ्यता के मिलाप से लुप्त होती जा रही है। ये सब हमारी अचेतना के कारण हो रहा है। यूरोप की क़ौमें अपनी नई पीढ़ी के लिए बड़ी चिंता रखती हैं। और उनको अपनी सभ्यता अपने दर्शिन और अपने दृष्टकोण में परिपक्व करने में कोई कमी नहीं करती।

वह अपने इस लक्ष्य में सफल हैं। अतएव इंग्लैण्ड के स्कूलों तथा कालेजों का पढ़ा पूरा इंग्लिश मैंन तथा फ्रांस के कालेजों का पढ़ा फ्रंच बनकर निकलता है। इसी प्रकार अमरीकी विद्यालयों से निकलने वाला पूरा अम्रीकी होता है। परन्तुं पूर्वी देशों का मुसलमान वहां के विद्यालयों से निकल कर न जाने क्या बनता है।

वह अपनी बअ़ज़ बातों में मुसलमान होता है और बअ़ज़ में ग़ैर मुस्लिम बअ़ज़ बातों में पूर्वी रहता है बअ़ज़ में पश्चिमी। इस खेद जनक परिस्थिति का उत्तरदायी कौन है?

हमारे बुद्धिजीवियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसकी चिंता होनी चाहिए और अपनी नई पीढ़ी के इस्लामिक प्रशिक्षण का अच्छा प्रबंध करना चाहिए।

❖❖❖

पैदाइशी मुसलमान .....

इसलिए उन्होंने इस्लाम पर चलने तथा गुरु नानक से प्रेम रखने में कोई विलूमता न पाई। हमको चाहिए कि हम किसी मुसलमान का अपमान न करें और निम्नलिखित बातें याद रखें–

सूरः ताहा की आयत नं0 82 में फरमाया गया है– कि बेशक मैं उन्हें बख़्श देने वाला हूं जो तौबा करें, ईमान लायें नेक अमल करें और हिदायत वाली सीधी राह पर चलें।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है ऐ वह लोगो जो इस्लाम लाए हो, वह नव मुस्लिम जिन के दिलों में अभी ईमान पूरी तरह नहीं उतरा है उन मुसलमान बंदों को सताने से और उनको शर्मिन्दा करने से और उनके छिपे हुए ऐबों के पीछे पड़ने से बचो, क्योंकि अल्लाह का क़ानून है कि जो कोई अपने मुसलमान भाई के छिपे ऐबों के पीछे पड़ेगा और उसको बदनाम करना चाहेगा तो अल्लाह तआला उसके ऐबों के पीछे पड़ेगा और जिसके ऐबों के पीछे अल्लाह पड़ेगा वह उसको ज़रूर रुस्वा करेगा, चाहे वह अपने घर के अन्दर ही हो।"

क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि ईमान क़ुबूल करने के बाद ज़िन्दगी भर के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नव मुस्लिमों को अगर हम गले नहीं लगायेंगे तो यक़ीनन हम इस्लाम क़ुबूल करने वालों के लिए रास्ते का रोड़ा बनने वाले होंगे।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: वली किसे कहते हैं?

उत्तर: जो मुसलमान अल्लाह तआ़ला और उसके भेजे हुए नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी करे, गुनाहों से बचे और फर्ज़ तथा वाजिब इबादतों के सिवा नफ़्ल इबादतें भी खूब करे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महब्बत दुन्या की तमाम चीजों से जियादा रखता हो वह अल्लाह का करीबी और प्रिय हो जाता है उसको अल्लाह का वली (विशेष मित्र) कहते हैं।

प्रश्न: वली की पहचान क्या है?

उत्तर: वली की पहचान यह है कि वह मुत्तक़ी (संयमी) फर्ज़ तथा वाजिब के सिवा नफ़्ल इबादतें भी खूब करता हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महब्बत उस पर छाई हुई हो, दुन्या का लालच न हो, हर समय तथा हर दशा में आखिरत (अगले जीवन) की चिन्ता रखता हो।

प्रश्न: क्या सहाबी (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथी) को वली कह सकते है?

उत्तर: हाँ तमाम सहाबी अल्लाह के वली थे इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संगत से उनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महब्बत ग़ालिब थी वह दुन्या से जी नहीं लगाते थे और खूब इबादत करते थे और गुनाहों से बचते थे तथा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेशों का पालन करते थे।

प्रश्न: क्या कोई सहाबी या वली किसी नबी के बराबर हो सकता है?

उत्तर: कदापि नहीं कोई सहाबी या वली चाहे जितने ऊँचे पद का हो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता।

प्रश्न: ऐसा वली जो सहाबी न हो किसी सहाबी के मरतबे (पद) के बराबर हो सकता है?

उत्तर: नहीं, सहाबी होने की फजीलत (श्रेष्ठता) बहुत बड़ी है अतः कोई वली (जो सहाबी न हो) मरतबे में किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता।

प्रश्न: कुछ लोग शरीअ़त के खिलाफ काम करते हैं जैसे नमाज़ नहीं पढ़ते, दाढ़ी मुंडाते हैं परन्तु उनके कुछ करतब देख कर उनको वली समझते हैं, उनको वली समझना कैसा है?

उत्तर: ऐसे लोगों को वली समझना बिलकुल ग़लत है जो शख्स शरीअ़त के खिलाफ (विरुद्ध) काम करता है वह अल्लाह का वली कदापि नहीं हो सकता।

प्रश्न: क्या कोई वली ऐसा भी हो सकता है जिसको

नमाज़, रोज़ा (शरीअ़त की पाबन्दी मुआ़फ हो जाये?

उत्तर: जब तक आदमी अपने होश व हवास (चेतना) में हो और इबादत की शक्ति रखता हो शरीअ़त की पाबन्दी उसको मुआ़फ नहीं ना ही उसके लिए कोई पाप (गुनाह) वैध हो सकता है ऐसे जो लोग कहें कि इबादत मुझ को मुआ़फ है और फुलां फुलां गुनाह मेरे लिए जाइज हैं वह अल्लाह के वली कदापि नहीं हो सकते, वह शैतान के मित्र हैं।

प्रश्न: मुअ़जिज़ा किसे कहते हैं?

उत्तर: अल्लाह तआ़ला अपने पैग़म्बरों (सन्देष्टाओं) से ऐसी आदत के खिलाफ बातें जाहिर करा देता है जिनके करने से दुन्या के और लोग आ़जिज (विवश) होते हैं ताकि लोग ऐसी बातों को देख कर समझ लें कि यह अल्लाह के भेजे हुए हैं ऐसी बातों को मुअ़जिज़ा कहते हैं।

प्रश्न: पैगम्बरों ने क्या क्या मुअ़जिज़े दिखाये?

उत्तर: पैगम्बरों ने अल्लाह के हुक्म से अनगिनत मुअ़जिज़े दिखाये हैं कुछ प्रसिद्ध मुअ़जिज़े यह हैं–

हज़रत मूसा अलैहि–स्सलाम का डण्डा साँप बन गया और जादूगरों के जादू के साँपों को निगल लिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह तआ़ला ऐसी चमक पैदा कर देता था कि उसकी रौशनी सूरज की रौशनी पर छा जाती थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समन्दर (लाल सागर) के बीच सूखे रास्ते बन गये और वह अपने साथियों के साथ उन रास्तों से समन्दर के उस पार चले गये लेकिन जब फिरऔन अपनी सेना के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए उन रास्तों से गुजरा और बीच रास्ते में पहुंचा तो पानी मिल गया और वह अपनी फौज के साथ डूब गया।

हज़रत ईसा अलैहि–स्सलाम अल्लाह तआ़ला के हुक्म से मुर्दों को ज़िन्दा कर देते थे, जन्म जात अन्धों को नज़र (दृष्टि) दे देते थे, कोढ़ियों को अच्छा कर देते थे, मिट्टी की चिड़िया बना कर उन्हें जिन्दा करके उड़ा देते थे।

हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बड़ा मुअ़जिज़ा कुर्आन मजीद है कि 1400 वर्ष से अधिक हो चुके हैं परन्तु कोई बड़े से बड़ा विद्वान अपने बड़े प्रयास पर भी कुर्आन मजीद की छोटी से छोटी सूरे जैसे सूरे बना न सका और न कियामत तक बना सकेगा।

दूसरा मुअ़जिज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मेअ़राज है, तीसरा मुअ़जिज़ा शक़्क़ुलक़मर (चाँद का दो भागों में बट जाना) है, चौथा मुअ़जिज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भविष्यवाणियां हैं जो सबके सब पूरी हुईं, पाँचवां मुअ़जिज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह है कि आप की दुआ से एक दो आदमियों का खाना सैकड़ों आदमियों ने पेट भर कर खाया, इनके अलावा आप

शेष पृष्ठ.....38.... पर

इस्लाम में विवाह

—इदारा

दिन रखना-

पस चाहिए कि जब लड़का लड़की बालिग़ हो जाएं और लड़का अपनी पत्नी का भार संभाल सके तो किसी शिष्ट लड़की को उसके अभिभावक द्वारा पैगाम दे। लड़की की शिष्टता या उसका रंग रूप उसकी माँ बहन आदि द्वारा ज्ञात करे, लड़की वाले भी लड़के की शिष्टता तथा उसकी कमाई के विषय में पता लगा कर सन्तुष्ट हो लें जब दोनों ओर से लोग सहमत (मुत्तफिक) हो जाएं तो परस्पर मिलकर निकाह की तिथि, दिन, समय, स्थान का निर्धारण करें। (निकाह होते ही रुखसती हो रही हो तो निकाह की तारीख़ नियुक्त करने में लड़की की माँ या उसकी किसी क़रीबी स्त्री से परामर्श अवश्य लें ताकि वह लड़की की मासिक स्वक्षता काल जान कर मशवरा दे) दिन रखने के लिए सम्बन्धियों तथा मित्रों की भीड़ एकत्र करना और भोज का प्रबन्ध करना तथा लेन देन करना .सहज इस्लामिक सभ्यता को कठिन बनाना तथा इस्लामिक समाज को दूषित बनाना है जो बड़ा पाप है।

निकाह-

निर्धारित समय पर कुछ दोस्त, अहबाब, सम्बन्धियों पड़ोसियों को बुला लें, लड़की पर्दे में रहे, उसका अभिभावक या उसका वकील लड़की को लड़के का परिचय दे कर तथा महर बता कर लड़की से निकाह कर देने की अनुमति मांगे, एक प्रकार से यह भी बड़ा विकार है चाहिए कि लड़की का अभिभावक परस्पर सहमत के पश्चात ही लड़की से लिखित अथवा मौखिक अनुमत ले ले। लड़की पढ़ी है तो उसको लिख कर सूचित करें कि तुम्हारा निकाह फुलां पुत्र फुलां से इतने महर पर किया जा रहा है तुम अनुमत के हस्ताक्षर कर दो। यह बड़े ऐब की बात है कि कुछ ना महरम मर्द—औरतों के घेरे में बैठी लड़की से अनुमति लेने जाते हैं। बहर हाल अनुमति निकाह के समय नहीं पहले ही से अभिभावक (वली) द्वारा उचित है। लड़की की अनुमति बिना निकाह नहीं हो सकता।

अच्छा तो यही है कि स्वयं वली, नाकेह (दूल्हा) तथा दूसरे लोगों के सामने निकाह का खुत्बा पढ़े, फिर सबके सामने ईजाब व कबूल इस प्रकार कराएं।

मैं फुलां (लड़की का नाम पिता के साथ लें) जिसका मैं शरई वली हूं को इतने (महर बताएं) महर पर तुम्हारे निकाह में दिया, क्या तुमने क़बूल किया? (यह ईजाब हुआ) नाकेह (दूल्हा) कहे: क़बूल किया। (यह क़बूल हुआ) बस निकाह हो गया। मुस्तहब है कि बरकत की दुआ की जाए अगर वली ईजाब व क़बूल कराने की योग्यता (सलाहियत) नहीं रखता या किसी आलिम बुज़ुर्ग से, ईजाब व क़बूल

करवाना चाहता है तो उसे वकील बना दें। ईजाब व क़बूल के वक्त चन्द मुसलमानों का मौजूद होना सुन्नत है और कम से कम दो आक़िल, बालिग़ मुसलमान मर्द या एक आक़िल, बालिग़ मुसलमान मर्द और दो आक़िल बालिग़ मुसलमान औरतों का बतौर गवाह मौजूद होना फ़र्ज़ है।

हनफ़ी उलमा के निकट बालिग़ औरत की इजाज़त से निकाह पढ़ा दिया जाए तो निकाह हो जाएगा (हमारे देश में कुछ को छोड़ कर सब हनफ़ी ही हैं) परन्तु दूसरे आलिमों के निकट एक हदीस के आधार पर वली की अनुमति के बिना निकाह नहीं हो सकता अतः वली की अनुमति ज़रूर ली जाए और वली स्वयं लड़की को सूचित करके अनुमति ले ले। ताकि सभी उलमा के निकट निकाह सही हो। बालिग़ लड़की यदि नकार दे तो केवल वली की अनुमति से निकाह नहीं हो सकता। यहां यह बात याद रहे कि बालिग़ लड़की और उसके वली की अनुमति अनिवार्य है (और हम हनफ़ीयों के नज़दीक बालिग़ लड़की के वली की अनुमति अनिवार्य नहीं मुस्तहब है) परन्तु बालिग़ लड़के के मां बाप की अनुमति की आवश्यकता नहीं, अलबत्ता यह बात अच्छी है कि बालिग़ लड़का अपने मां बाप की मर्ज़ी का ख़्याल रखे।

महर दोनों प्रकार वैध है चाहे तुरन्त देय हो अथवा उधार हो। तुरन्त देय वाला महर पत्नी के भेंट से पूर्व या भेंट पर अदा होना अनिवार्य है सिवाय इसके कि पत्नी मोहलत दे दे। बिना महर के निकाह नहीं होता खूब याद रखें। परन्तु महर उतना ही होना चाहिए जिसे पति अदा कर सके। यह जो प्रसिद्ध है कि महर तलाक़ के समय दिया जाता है यह बिल्कुल ग़लत है महर पत्नी का हक़ है, अदा नहीं हुआ तो पति पर क़र्ज़ रहा, तलाक़ के समय तक अदा नहीं हुआ तो तलाक़ हो जाने पर इसकी अदायगी अनिवार्य हुई वरना यह क़र्ज़ कियामत में अदा करना होगा।

रुख़सती के दूसरे या तीसरे दिन वलीमा सुन्नत है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ बड़े धनवान सहाबी गुज़रे हैं उन्होंने निकाह किया तो ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से निकाह पढ़वाया ना ही आपको सूचित किया परन्तु जब आपको पता चला कि अब्दुर्रहमान ने निकाह कर लिया तो यह नहीं फरमाया कि मुझे क्यों नहीं बताया अलबत्ता यह कहा कि वलीमा करो चाहे एक बकरी ज़ब्ह करके ही क्यों न हो।

संक्षेप- जब बालिग़ लड़का और बालिग़ लड़की, अपने माता पिता, बहन, भाई अथवा किसी निकटस्थ सम्बन्धी द्वारा एक दूसरे को पसन्द कर लें, तो करीबी सम्बन्धी कुछ लोगों की एक मजलिस बुला लें जैसा कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा के निकाह में किया था, लड़की का वली पहले ही से लड़की की रजा मन्दी जान रखे, फिर वह स्वयं निकाह पढ़ा

सकता है तो खुद पढ़ाए वरना किसी को अनुमति दे कर अपना वकील बना दे। निकाह पढ़ाने वाला मुसलमानों की मजलिस में मस्नून खुत्बा पढ़े फिर, उसी मजलिस में लड़के को सम्बोधित करके कहे कि फुलां पुत्री फुलां को मैंने इतने महर पर तुम्हारे निकाह में दिया, क्या तुमने क़बूल किया? लड़का कहे मैंने कबूल किया, बस निकाह हो गया, बरकत की दुआ करें लड़की रुख्सत कर दें। लड़का अपनी पत्नी से सहवास के पश्चात अपनी सरलतानुसार दूसरे या तीसरे दिन वलीमा कर दे अर्थात अपने सम्बन्धियों को खाना खिला दे। बस यह है इस्लामी विवाह। लेकिन हमने अपने आप उसकी सूरत बिगाड़ ली, आप ध्यान दें इस्लामी विवाह में क्या क्या अनिवार्य है–

1. आक़िल बालिग़ लड़के, लड़की जिन में निकाह वैध हो की रज़ामन्दी।

2. लड़की बालिग़ हो या नाबालिग़ उसके वली की रज़ामन्दी। लेकिन हनफ़ी मस्लक में बालिग़ लड़की के वली की रज़ामन्दी अच्छी बात है परन्तु ज़रूरी नहीं।

3. कम से कम दो आक़िल बालिग़ मर्द मुसलमानों या एक आक़िल बालिग़ मुस्लिम मर्द और दो आक़िल बालिग़ मुस्लिम औरतों के सामने ईजाब व क़बूल। (गवाहों के बिना ईजाब व कबूल सही नहीं है)

4. महर भी अनिवार्य है बे महर निकाह न होगा। (जो 31 ग्राम चान्दी से कम न हो) खुत्बा पढ़ा जाना सुन्नत है न पढ़ा जाए तो निक़ाह प्रभावित न होगा, वलीमा महत्वपूर्ण सुन्नत है यह भी निकाह को प्रभावित न करेगा।

अब ज़रा ज़ायद बातों और लग़वीयात पर ध्यान दे लें।

1. मंगनी में लड़की वाले के घर लोगों (मर्द हों या औरतें या दोंनों) का इकट्ठा होना और उनके लिए खाने का इन्तिज़ाम करना, लड़की वाले का लड़के वालों को रकम पेश करना इन सब बातों का इस्लामी विवाह से दूर का भी सम्बन्ध नहीं, मुसलमानों को चाहिए कि इन्हें तर्क करें। आसान को मुश्किल न बनाएं, अपने ग़रीब भाईयों को शर्मिन्दा न करें। अगर दो चार सम्बन्धी इन्तिज़ामी सुहूलत के पेशे नज़र मिल बैठ कर उचित दिन, तिथि, समय, स्थान नियुक्त कर लें और कुछ चाय पानी कर लें तो कोई हरज भी नहीं अपितु कभी यह ज़रूरी भी हो जाता है।

2. लड़के और लड़की के तेल, उबटन और अटहर नाई, नाइन से लगवाना व्यर्थ बात है, अवैध है इस्लामी विवाह से इसका दूर से भी तअ़ल्लुक नहीं। अगर लड़का या लड़की या उनके घर वाले दूल्हा, दुल्हन के मुक़ाबले की तैयारी के लिए इसकी आवश्यकता समझते हैं तो खुद से कर लें, अपितु कुछ पौष्टिक पदार्थ खिलाना हो तो इस्लाम उससे नहीं रोकता परन्तु इन को निकाह का अंग बनाना और निकाह के साथ इस प्रथा को चलाना इस्लामिक विधान में हस्तक्षेप करना है।

निकाह से पहले नाकेह (दूल्हा) को नहलाने, और जामा जोड़ा, सेहरा, ताज आदि पहनाना इन सब का इस्लामी निकाह से कोई सम्बन्ध नहीं, अपितु बालिग़ लड़के को किसी मजबूरी के बिना कोई दूसरा नहलाए इस्लाम में यह खुद ही बुरा है, बालिग़ लड़के को औरतों, मर्दों के घेरे में नहलाना तो हराम ही है। कोई नहा कर कपड़े बदलना चाहता है तो इसे कौन रोकता है, आड़ में खुद ही नहा ले कपड़े बदल ले, लेकिन फ़ुजूल रस्मीयात का विरोध आवश्यक है ताकि इस्लामी विवाह का शुद्ध रूप सुरक्षित रहे।

4. भरे मजमेअ़ में माली सेहरा पेश करके इनआ़म मांगे, दरज़ी कपड़े बदलवा कर नेग मांगे आख़िर इस नुक्कड़ नाटक का इस्लामी निकाह से क्या तअ़ल्लुक़? किस सहाबी के निकाह में सेहरा मुहय्या किया गया था? क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को निकाह से पहले मजमेअ़ में जोड़ा पहनाया गया था? दरज़ी ने कपड़ा सिला उसकी सिलाई उसकी दूकान उसके घर दीजिए मजमेअ़ में अदा करने की क्या ज़रूरत फिर इसको निकाह का अंग बनाना सरल दीन को कठिन बनाना है।

5. विवाहों में सब से घृणित प्रथा भारी जहेज़ की मांग तथा उसका दिखावा है, जिसने कितनी शिक्षित तथा शिष्ट युवतियों को बिना व्याही बिठा रखा है और कितनों को अग्नि अर्पित कर दिया इस जहेज़ का इस्लाम से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है, क़ानून होते हुए भी यह प्रथा समाप्त नहीं हो रही है कम से कम इस्लामी समाज से इस विकार को दूर करने के लिए दीनदार मुस्लिम यूवकों को मैदान में आना होगा और नैतिक विधि से न मानने पर क़ानून से सहायता लेकर इस कुप्रथा को मिटाना होगा।

6. वलीमे में नाम नमूद और फ़ुजूल ख़र्ची न होना चाहिए। जिनको अल्लाह ने दे रखा है दूसरे उम्मत के ज़रूरी कामों में ख़र्च करके सवाब कमाएं, और पता लगाएं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुद वलीमा किस प्रकार किया था। हज़रत अ़ली, हज़रत उसमान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औ़फ रज़ि0 के वलीमों का हाल मालूम करें।

7. शादी विवाह या किसी पर्व में अनावश्यक लाइटिंग फ़ुजूल ख़र्ची है इससे बचें और इसका पैसा निर्धन अनाथों विधवाओं की सहायता में ख़र्च करें!

8. मंगनी हो जाने के बाद कुछ फ़ारवर्ड लोग लड़की लड़के को बे रोक टोक मिलने देते हैं इस्लाम में निकाह से पहले इसकी अनुमति कदापि नहीं है।

9. कुछ बिरादरियों में या कुछ फारवर्ड लोगों में मंगनी या बारात में औरतें भी जाती हैं यह इस्लाम में अप्रिय है। पहली बात तो बारात ही का कोई सुबूत नहीं अगर लड़का अपने

क़रीबी अ़ज़ीज़ों में चार, छे लोगों के साथ लड़की वाले के दरवाज़े जा कर निकाह़ पढ़वा कर दुल्हन ले आता है तो कोई हरज नहीं लेकिन बड़ी संख्या में धूम धाम से लड़की वाले के दरवाज़े जाना और कभी बाजे गाजे के साथ जाना जिसे बरात या बारात कहा जाता है इसकी निकाह की इबादत के साथ कोई गुंजाइश नहीं यह एक इबादत की शक्ल को बिगाड़ना हुआ और औरतों का दूल्हा के साथ जाना यह तो और ख़राब बात है जिसमें आम तौर से बे पर्दगी होती है, गहनों तथा वस्त्रों की नुमाइश होती है यह तो हराम ही है।

10. कुछ जगहों पर देखा गया है कि लड़के की हैसियत से बहुत ज़ियादा महर रखा जाता है यह भी बड़ा ऐब है महर उतना ही हो जिसे लड़का अदा कर सके।

11. कभी देखा गया है कि घर या ख़ानदान में जो बड़ा बूढ़ा हुआ या अधिक पढ़ा लिखा हुआ उसी को लड़की का वली बना दिया जाता है या वह खुद वली बन बैठता है। शरीअ़त ने वली नियुक्त किये है, जब क़रीबी वली मौजूद हो तो न दूर का वली, वली हो सकता है न ख़ानदान का कोई बड़ा बूढ़ा वली हो सकता है वलियों की तर्तीब (क्रम) इस प्रकार है–

सबसे पहले बाप वली है, बाप न हो तो दादा, दादा न हो तो पर दादा, इनमें से कोई न हो तो सगा भाई, (एक मां बाप से) सगा भाई न हो तो बाप की ओर से सौतेला भाई वली हो सकता है, यह भी न हो तो भाई का लड़का (भतीजा) यह भी न हो तो सगा चाचा वह भी न हो तो बाप का सौतेला भाई अर्थात सौतेला चचा अभी बयान चला जा रहा है लेकिन इनमें से कोई न कोई आम तौर से रहता है इसलिए इतने ही पर खत्म करता हूँ। यह याद रहे कि औरत वली नहीं बन सकती न नाबालिग़ लड़का। कभी लड़की का बाप नहीं होता तो लोग मां को वली समझ बैठते हैं यह ग़लत है।

गरज कि मुसलमानों ने शादी विवाह में हिन्दू भाइयों की संगत से जो रस्में अपना ली हैं उनको तर्क कर के हिन्दू भाईयों को भी दिखाना और बताना है कि इस्लामी विवाह क्या है और कितना सरल है।

दुल्हन रुखसत हो कर जाती है अब वह अपने पति की पत्नी है, तथा सुसराल के कुल की एक मिम्बर है, उसके साथ विभिन्न प्रथाएं व्यर्थ हैं, छोड़ देने योग्य है।

निकाह के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण दोनों में प्रेम होना, एक दूसरे के हुकूक अदा करना और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताए हुए तरीके से जीवन बिताना है।

याद रखें मुसलमान इस्लाम का अमली (कृयात्मक) मुबल्लिग़ है यदि उसने इस्लामिक जीवन को शुद्ध न रखा तो अशुद्ध इस्लामिक जीवन की तब्लीग़ करने का पाप करेगा।

❖❖❖

उर्दू के आधार-स्तंभ

—डॉ0 मुहम्मद अहमद

'उर्दू' शब्द तुर्की भाषा का है, जिसका अर्थ 'शिविर' अथवा सेना होता है। शाही शिविरों में तुर्की, ईरानी एवं भारतीय साथ–साथ रहते थे, इस कारण उनकी भाषा, जो इन तीनों भाषाओं की सम्मिश्रण थी, 'अहल–ए–उर्दू' (शिविर के लोगों) की भाषा अथवा अधिक सरल रूप में 'जबान–ए–उर्दू' (शिविर की भाषा) कहलाई। यह जुबान–ए–उर्दू मुअल्ला अथवा प्रतिष्ठित शिविर की भाषा कही जाती थी। शनैःशनै 'जुबान' शब्द का प्रयोग समाप्त हो गया और कुछ समय पश्चात भाषा स्वयं 'उर्दू' के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। इस प्रकार शिविर ने विभाषा को इस सीमा तक प्रभावित किया कि इसे अपना नाम ही दे डाला। किन्तु इस क्षेत्रीय भाषा का व्याकरणिक रूप हिन्दी भाषा (खड़ी बोली) के ही समान है तथा केवल शब्द भंडार में थोड़ा अंतर है, जिसकी शैली प्रारंभ में बड़ी सरल और व्यवहारोपयोग्य थी। कालांतर में यह भाषा लिखी जाने लगी और केवल 'बोली' ही न रह गयी। चूंकि अधिकांशतः मुस्लिम प्रभुत्व सेना द्वारा व्यवहृत की जाती थी, इसका फ़ारसी लिपि में लिखा जाना स्वाभाविक था। इसमें फ़ारसी, अरबी तथा तुर्की जैसी भाषाओं के शब्दों का समावेश भी बहुतायत से होता गया।

अपने प्रारंभिक चरणों में उर्दू साहित्य का विकास एवं वृद्धि कुछ स्पष्ट नहीं है। अन्य भाषाओं के साहित्यों के समान इस भाषा के साहित्य का विकास भी पद्य से ही प्रारंभ हुआ। अमीर खुसरू (1253–1325) प्रथम लेखक थे, जिन्होंने उर्दू भाषा का प्रयोग साहित्यिक उद्देश्य के लिए किया। परन्तु कई शताब्दियों तक उत्तर भारत में किसी विद्वान ने खुसरू का अनुसरण नहीं किया। 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा के कतिपय प्रबुद्ध सुलतानों (जो स्वयं भी कवि थे) के संरक्षण में उर्दू कविता को प्रोत्साहन मिला। उनके दरबार में कुछ मुसलमान कवियों ने अपनी कविताओं में इसका प्रयोग किया। उनकी रचनाओं से उत्तर भारत में अधिक रुचि उत्पन्न हुई तथा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हातिम, आबरू, आरजू आदि कवियों ने दक्षिण के कवियों का अनुसरण करते हुए, उर्दू भाषा तथा शायरी की उन्नति में योगदान दिया।

इस प्रकार उर्दू शायरी का केन्द्र दक्षिण भारत से परिवर्तित हो कर, दिल्ली हो गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 'सौदा' एवं 'मीर' जैसे प्रख्यात शायरों का समय आया। इस युग में शायरी अत्यंत श्रेष्ठ और उच्च स्तर की होने लगी, यह बात इस युग के उत्कृष्ट शायरों और उनकी उत्तम रचनाओं से स्पष्ट होती है। इन कवियों की रचनाएं इतने

उच्च स्तर की थीं कि उन्होंने भावी शायरों के लिए अनुकरणीय आदर्श एवं प्रतिमान प्रस्तुत किये।

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उर्दू साहित्य उत्तर भारत में फला–फूला। यह कथन उन साहित्य मनीषियों के प्रादुर्भाव से और अधिक स्पष्ट हो जाता है, जिन्होंने उर्दू शायरी के क्षेत्र में एक नवीन ज्योति का संचार कर उसे जगमगा दिया। 'ग़ालिब' तथा 'ज़ौक़' के समय में, जो उर्दू साहित्य का स्वर्णयुग समझा जाता है, उर्दू साहित्य अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था। इस युग में उर्दू गद्य, नाटक तथा पत्रकारिता की भी उन्नति हुई। इस समय की साहित्यिक कृतियों में तत्कालीन समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश पड़ता है।

विभिन्न साहित्यिक मनीषियों की जीवनियां- कृतियां-

1.'सौदा' (1713–81)

मिर्ज़ा मुहम्मद रफ़ी 'सौदा' 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के उर्दू के सर्वश्रेष्ठ शायर माने जाते हैं। वे मिर्ज़ा मुहम्मद शफ़ी के पुत्र थे, जो मूल निवासी तो काबुल के थे, परन्तु दिल्ली में व्यापारी के रूप में बस गये थे। 'सौदा' का जन्म 1713 ई0 में हुआ था। उनका पोषण एवं शिक्षण दिल्ली में ही हुआ। सिराजुद्दीन अली ख़ान 'आरज़ू' की संगति में उनकी उर्दू शायरी में रुचि जागृत हुई। शीघ्र ही वे श्रेष्ठ और उच्च स्तर की शायरी करने लगे, जिससे वे जनसाधारण के प्रिय शायर हो गये। उनकी प्रसिद्धि से तत्कालीन बादशाद शाह आलम 'आफ़ताब' का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ, जो उनके शिष्य बन गये तथा उनसे अपनी रचनाओं का संशोधन कराने लगे।

कहते हैं कि एक बार बादशाह ने 'सौदा' को 'मलिकुश्शुअरा' (कवि सम्राट) की उपाधि प्रदान करने की इच्छा की, परन्तु कवि ने यह कह कर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उनका अपना कलाम ही उनके लिए वह उपाधि अर्जित करेगा। उनकी कृति 'शहर आशोब' ने, जो स्वयं बादशाह और उनके दरबारियों पर व्यंग्यपूर्ण रचना थी, बादशाह से उनके संबन्ध पूर्णतः बिगाड़ दिये। बहरहाल, वह अपने भरण– पोषण के लिए दिल्ली के दो रईसों–बसन्त ख़ाँ तथा मेहरबान खाँ पर निर्भर रहने लगे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने जब सौदा की प्रतिभा के विषय में सुना, तो उन्हें फैजाबाद आने का निमंत्रण दिया, परन्तु कवि ने उत्तर में यह रूबाई लिख कर नवाब के पास भिजवा दी–

'सौदा' पए–दुनिया तू बहर–सू कब तक?
आवारा अज़ीं–कूचा ब–आं–कू कब तक?
हासिल यही इससे न कि दुनिया होवे
बिल्फ़र्ज़ हुआ यूं भी तो फिर तू कब तक?

दुर्भागय से दिल्ली में उनके लिए सुविधापूर्ण जीवन की परिस्थितियां अधिक समय तक न रह सकीं।

'सौदा' की गणना उर्दू के महान शायरों में की जाती है, तथा वे उर्दू साहित्य में 'मीर' और 'ग़ालिब' के साथ ही शीर्ष स्थान के अधिकारी हैं। वे प्रथम कवि हैं जिन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाओं को गंभीर रूप प्रदान किया। उनकी व्यंग्य तथा अन्य

रचनाएं तत्कालीन उत्तरी भारत के लोगों के जीवन और दशा की दर्पण हैं।

सौदा ने निम्नलिखित रचनाएं कीं– (1) फ़ारसी ग़ज़लों का अपूर्ण दीवान (2) फ़ारसी के कतिपय क़सीदे (3) उर्दू ग़ज़लों का दीवान (4) चौबीस मसनवियां (5) दिल्ली तथा लखनऊ के उच्चश्रेणी के व्यक्तियों की प्रशंसा में क़सीदों का दीवान (6) मीर के पद्यों की व्याख्या (7) सलाम तथा मर्सिये (8) पवित्र धार्मिक मनुष्यों की प्रशंसा में कविताएं (9) 'इबरतुलग़ाफ़िलीन– गद्य की पुस्तिका (10) 'मीर' कृत मसनवी 'शोला–ए–इश्क़' का गद्य अनुवाद तथा (11) उर्दू कवियों का जीवन–चरित्र, जो अब अप्राप्त है।

2. मीर तक़ी 'मीर' (1724–1810)

मीर मुहम्मद तक़ी, जिनका कवि नाम 'मीर' था तथा सामान्यतः मीर तक़ी के नाम से विख्यात थे, अकबराबाद (आगरा) के आभिजात्य मीर अब्दुल्लाह के पुत्र थे। बचपन से ही मीर तक़ी में कवि प्रतिभा दृष्टिगोचर होने लगी थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे अपने चचा खान आरजू (सिराजुद्दीन) के पास दिल्ली चले आये। ख़ान आरजू जो फ़ारसी के प्रसिद्ध शायर थे, उनकी देखभाल के साथ उनकी रचनाओं का निरीक्षण भी करते थे। उनकी कविताएं शीघ्र ही लोकप्रिय हो गयीं।

लखनऊ में नवाब आसिफुद्दौला ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया, परन्तु कतिपय घटनाओं से दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें दरबार से विदा लेनी पड़ी। इस प्रकार, 'मीर' को अति निर्धनता एवं भुखमरी की हालत में अपना जीवनयापन करना पड़ा। सन् 1810 ई0 में उनकी मृत्यु हो गयी।

यद्यपि 'आब–ए–हयात' में वर्णित 'मीर' के प्रकृति विषयक कथनों और चुटकुलों पर अनेक व्यक्तियों ने आपत्ति प्रकट की है। तथापि इसमें संदेह नहीं कि वे अतिशय गंभीर, आत्म केन्द्रित, गर्वीले तथा संवेदनशील प्रकृति के थे।

तथापि मीर उर्दू के साहित्य के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं। ग़ज़ल लेखक के रूप में सर्वश्रेष्ठ हैं। यहां तक कि ग़ालिब ने भी उन्हें एक उस्ताद के रूप में स्वीकार किया था–

रेख़्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो, 'ग़ालिब'
कहते हैं अगले ज़माने में कोई 'मीर' भी था।

'मीर' बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं–

(1) रेख़्ता ग़ज़लों के छह बड़े दीवान (2) फ़ारसी ग़ज़लों का एक दीवान (3) मसनवियां (4) फ़ारसी में 'फ़ैज़–ए–मीर' नामक पुस्तिका (5) फ़ारसी में ही उर्दू कवियों की स्मृतांजलि 'नुकातुश्शुअरा', (6) फ़ारसी में अपना आत्म–चरित्र 'ज़िक्र–ए–मीर'।

उनकी अनेक मसनवियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय ये हैं– (1) 'अजगरनामा', जिसमें कवि ने स्वयं को ऐसा अजगर माना है जो छोटे कवि रूपी जीवों को निगल जाता है, (2) 'शोला–ए–इश्क़' अथवा 'प्रेम–ज्वाला', (3) 'जोश–

ए–इश्क़' अथवा 'प्रेमावेग', (4) 'दरिया–ए–इश्क़' अथवा 'प्रेमोदधि' (5) 'एजाज़– ए–इश्क़' अथवा 'प्रेम का चमत्कार', (6) 'ख़्वाब व ख़याल' अथवा 'स्वप्न और विचार', (7) 'मामलात–ए– इश्क़' अथवा 'प्रेम संव्यवहार', (8) मसनवी 'तंबीहुलख़्याल' जिसमें काव्यकला की प्रशंसा की गयी है, (9) 'शिकारनामा' जो तीन मसनवियों का संग्रह है और जिसमें नवाब आसिफुद्दौला के शिकार–अभियानों का वर्णन है (10) अनेक लघु मसनवियां।

3. मीर 'हसन' (लगभग 1736–86)

मीर गुलाम हसन जो मीर 'हसन' के नाम से अधिक विख्यात हैं, दिल्ली में उत्पन्न हुए थे तथा कवि मीर गुलाम हसन 'ज़हाक' के सुपुत्र थे। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता से काव्यकला सीखी थी तथा कालान्तर में अपनी रचनाओं का संशोधन, ख़्वाजा मीर दर्द से कराया। दिल्ली में व्याप्त अशांति के कारण उन्हें 12–13 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ना पड़ा। वे अपने पिता के साथ फ़ैज़ाबाद चले गये, जो उस समय अवध की राजधानी थी। उन्होंने नवाब आसिफ़द्दौला के मामा नवाब सालारजंग के यहां नौकरी कर ली। धीरे–धीरे उन्हें फ़ैज़ाबाद से अत्यधिक लगाव हो गया। जब शासन–केन्द्र लखनऊ स्थानांतरित हुआ तो वे भी वहां चले गये तथा वहीं स्थायी रूप से निवास करने लगे। लखनऊ में ही 1786 ई0 में उनकी मृत्यु हो गयी।

मीर हसन को उर्दू साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त है, वे अपनी भाषा की मधुरता और सरलता के लिए विख्यात हैं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं–

(1) ग़ज़लों का दीवान (2) ग्यारह मसनवियां, जिनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं– (अ) सहरुल बयान अथवा 'किस्सा बेनज़ीर व बद्रे–मुनीर, जो प्रायः 'मसनवी–ए–मीर हसन' भी कहलाती है, यह उर्दू की सर्वाधिक विख्यात और जनप्रिय गाथा है जिसने इसके लेखक को अमर बना दिया है। इसमें स्त्रियों के परिधानों, विवाहोत्सवों एवं अन्य प्रथाओं का बड़ा ही रोचक वर्णन है (ब) 'गुलज़ार –ए–इरम' जिसमें लखनऊ पर व्यंग्य और फ़ैज़ाबाद की प्रशंसा की गयी है। इसमें भी मुसलमानों में प्रचलित रीति–रिवाज़ों, स्त्रीय–परिधानों तथा उत्सवों का वर्णन है। (3) क़सीदे, जिनमें से अब केवल सात ही प्राप्त हैं (4) फ़ारसी में उर्दू कवियों का तज़किरा।

4.'मुसहफ़ी' (1750–1824)

शैख़ गुलाम हमदानी 'मुसहफ़ी' अमरोहा के कुलीनवंशीय शैख़ वली मुहम्मद के पुत्र थे। उनका जन्म 1750 ई0 में हुआ था। युवा होने पर वे अरबी और फ़ारसी में शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से दिल्ली आये। उन्होंने उर्दू शायरी में गहरी रुचि प्रदर्शित की और शीघ्र ही शायर के रूप में प्रसिद्ध हो गये। वे अपने घर पर मुशायरे आयोजित करते थे, जिनमें दिल्ली के प्रायः सभी उच्चकोटि के शायर सम्मिलित हुआ करते थे।

जीविका की खोज में मुसहफ़ी को दिल्ली त्यागनी पड़ी तथा वे आंवला, टांडा (रामपुर के पास) एवं लखनऊ जैसे स्थानों पर भ्रमण करते रहे। लखनऊ में एक वर्ष रहने के पश्चात पुनः दिल्ली आ गये जहां एक लंबी अवधि तक रहे। इस अवधि में उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए व्यापार भी किया। अन्ततोगत्वा वे लखनऊचले गये और मिर्ज़ा सुलैमान शिकोह के यहां नौकरी कर ली तथा स्थायी रूप से वहीं बस गये। अत्यंत ग़रीबी तथा निराशा की स्थिति में सन् 1824 ई0 में मुसहफ़ी की मृत्यु हो गयी।

मुसहफ़ी के विशेष रूप से उर्दू के आठ दीवान तथा उर्दू कवियों का तज़किरा विख्यात है, जिसमें कम से कम उनके समय तक के लगभग 350 कवियों का वर्णन है।

5. 'इन्शा' (लगभग 1756–1817)

सैयद इन्शा अल्लाह खां 'इंशा' दिल्ली के कवि तथा शाही चिकित्सक हकीम माशा अल्लाह खां 'मसदर' के पुत्र थे। मुग़ल साम्राज्य के विघटन के कारण माशा अल्लाह कुछ समय के लए मुर्शिदाबाद के दरबार में चले ग़ये।

वहीं पर लगभग 1756 ई0 में इंशा का जन्म हुआ। प्रारंभिक अवस्था में उनके पिता उनकी शायरी का संशोधन किया करते थे। 1786 ई0 में वे दिल्ली आ गये तथा मीर सोज के शागिर्द बन गये। शाहआलम ने, जो स्वयं भी एक शायर और शायरों के संरक्षक थे, इंशा को अपने दरबार में आमंत्रित किया। परन्तु इंशा ने दिल्ली दरबार से असंतुष्ट हो कर लखनऊ में निवास करने का निश्चय किया। लखनऊ में नवाब के पुत्र मिर्ज़ा सुलैमान शिकोह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। वे नवाब सआदत अली ख़ाँ के संपर्क में भी आये, जिनसे वे केवल मित्रता करने में ही सफल नहीं हुए वरन गहरी घनिष्ठता भी स्थापित कर ली। इंशा के प्रमुख संग्रह अथवा "कुल्लियात" में निम्नलिखित काव्य रूप हैं–

(1) उर्दू ग़ज़लों का दीवान (2) रेख़ती ग़ज़लें (3) उर्दू और फ़ारसी में क़सीदे (4) फ़ारसी गज़लों का दीवान (5) 'शीर–बिरंज' नामक फारसी मसनवी (6) एक फ़ारसी मसनवी जिसकी रचना बिन्दु रहित अक्षरों से की गयी है। (7) फ़ारसी भाषा में रचित 'शिकारनामा', जिसमें नवाब सआदत अली ख़ाँ के शिकार का वर्णन है (8) विभिन्न वस्तुओं तथा व्यक्तियों (मुसहफ़ी सहित) के ऊपर व्यंग्यात्मक तथा निन्दात्मक कविताएं (9) 'शिकायत–ए– ज़माना' (10) उर्दू में कतिपय मसनवियां आदि।

इंशा की उल्लेखनीय रचनाओं में ठेठ हिन्दी में रचित एक गद्य कथा 'उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी' तथा फ़ारसी में उर्दू व्याकरण एवं छन्द शास्त्र पर रचित एक महत्वपूर्ण कृति 'दरिया–ए–लताफ़त' है जिसे उन्होंने अपने मित्र मिर्ज़ा क़तील के सहयोग से लिखा था।

6.'जुरअत' (मृत्यु-1810)

शैख़ क़लन्द बख़्श 'जुरअत' दिल्ली के हाफ़िज़ अमान के पुत्र थे। उनका जन्म दिल्ली में और लालन पालन फ़ैज़ाबाद में हुआ था। सर्वप्रथम उन्होंने बरेली के नवाब मुहब्बत ख़ां के यहां नौकरी की। तत्पश्चात 1800 ई0 में लखनऊ चले गये तथा मिर्ज़ा सुलैमान शिकोह की संरक्षता प्राप्त कर ली। सन् 1810 मृत्यु पर्यन्त वे लखनऊ में ही रहे।

जुरअत दिल्ली के ज़फ़र अली ख़ाँ के शागिर्द थे। उनके द्वारा रचित उर्दू में ग़ज़लों का संग्रह तथा दो मसनवियां उपलब्ध हैं। एक मसनवी में बरसात पर व्यंग्य किया गया है तथा द्वितीय मसनवी– 'हुस्न व इश्क' में एक प्रेम–प्रसंग का वर्णन है।

7. 'रंगीन' (1755–1835)

सआदत यार ख़ाँ रंगीन 1755 ई0 में सरहिन्द में पैदा हुए थे। वे तहमास्प बेग ख़ां तूरानी के पुत्र थे, जो नादिरशाह के साथ भारत आये थे तथा कुछ दिन लाहौर में रहने के पश्चात स्थायी रूप से दिल्ली में बस गये। वहां उन्हें हफ़्त–हज़ारी की पदवी तथा मुहकिम उद्दौला एतक़ाद–ए–जंगबहादुर की उपाधि प्रदान की गयी।

रंगीन चौदह–पंद्रह वर्ष की आयु में ही काव्य रचना करने लग गये थे। वे शाह हातिम के शागिर्द थे परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात मुहम्मद अमन निसार से काव्य संशोधन कराने लगे। वस्तुतः वे मीर के शागिर्द बनना चाहते थे, परन्तु मीर ने उनकी प्रार्थना यह कह कर अस्वीकार कर दी कि तुम्हारे लिए शारीरिक व्यायाम व घुड़सवारी अधिक उपयुक्त है।

रंगीन एक सिद्धहस्त लेखक थे। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं:

(1) नौरत्न–ए–रंगीन जिसमें रेख़्ती के एक दीवान सहित चार दीवान हैं, (2) मजमूआ–ए–रंगीन, (3) मजालिस–ए–रंगीन (फ़ारसी में) (4) इम्तिहान–ए–रंगीन, (5) अख़बार–ए–रंगीन, जिसमें उस काल पर प्रकाश डालने वाली 93 कथाएं हैं, (6) ईजाद–ए–रंगीन जिसमें कथाएं एवं चुटकुले हैं, (7) अजायब व ग़रायब–ए–रंगीन, (8) शहर–आशोब, (9) दावत–ए–रंगीन, (10) हिकायत–ए–रंगीन, (11) फ़रस नामा, जिसमें घोड़ों की पहचान तथा उनके रोगों की चिकित्सा आदि का वर्णन है।

इनके अतिरिक्त भी अन्यान्य रचनाएं हैं।

8. 'जान साहब' (1819–1882)–

मीर यार अली ख़ां, जिनका कवि नाम जान साहब था, मीर अम्मन के पुत्र थे। उनका जन्म 1819 ई0 में फ़र्रुख़ाबाद में हुआ था। छोटी उम्र में ही वे लखनऊ चले गये तथा नवाब आशोर अली ख़ां के शार्गिद बन गये। जान साहब की रचनाओं में रेख़्ती कविता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गयी थी।

आर्थिक संकट की अवस्था में जान साहब जीविकोपार्जन निमित्त भोपाल और दिल्ली भी गये परन्तु

उनकी कोशिश नाकाम हो गयी। उनके जीवन का अंतिम समय रामपुर में व्यतीत हुआ, जहां उनकी मृत्यु 1882 ई0 में 63 वर्ष की आयु में हुई। उन्होंने 'दीवान–ए–जान' नामक एक दीवान की रचना की है।

9. 'नज़ीर' अकबराबादी (1735–1830)

शैख़ वली मुहम्मद नज़ीर का जन्म 1735 ई0 में दिल्ली में हुआ था। वे सैयद मुहम्मद फ़ारूक़ के पुत्र थे, जिनके बारह बच्चों में एक मात्र वही जीवित रहे थे। अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण के समय नज़ीर आगरा चले गये तथा ताजमहल के निकट ताजगंज में रहने लगे।

नज़ीर ने फ़ारसी का गहन अध्ययन किया था, तथा वे अरबी भी जानते थे।

नज़ीर अकबराबादी बहुमुखी प्रतिभा के सिद्धहस्त लेखक थे। शायद ही कोई ऐसा विषय हो जो शायरी में उनकी दृष्टि से ओझल रह गया हो। समकालीन कवियों में वे सौदा और मीर से छोटे तथा इंशा, जुरअत और नासिख़ से बड़े थे। कोई भी तत्कालीन कवि विषय–बाहुल्य तथा शब्द–चयन में उनकी प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता। सत्य तो यह है कि जो विशेषताएं पृथक–पृथक रूप से विभिन्न कवियों में पायी जाती हैं, वे सभी सम्मिलित रूप से उनमें विद्यमान थीं। शब्द चयन में उनकी तुलना टेनीसन से की जाती है। उस काल के सभी उर्दू कवियों में केवल वे ही शेक्सपीयर के सर्वाधिक निकट प्रतीत होते हैं। वास्तव में नज़ीर 'बेनज़ीर' (अनुपमेय) हैं, या उनकी तुलना केवल उनसे ही की जा सकती है।

नज़ीर ने जो कुछ लिखा है, वह सब आज उलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे सुरक्षित रखने की चिंता नहीं की। विश्वास किया जाता है कि उन्होंने दो लाख शेअरों की रचना की थी, परन्तु उनमें से अब केवल छह हज़ार उलब्ध हैं।

10. 'नासिख़' (मृत्यु–1838)

शैख़ इमाम बख़्श नासिख़ा लखनऊ के अत्यधिक प्रसिद्ध शायरों में से थे। उनका जन्म फ़ैज़ाबाद में हुआ था। युगानुरूप नासिख़ को शारीरिक व्यायाम में बड़ी रुचि थी तथा उनकी गठन भी अच्छी थी। अपने जीवन काल में नासिख़ को दो बार लखनऊ छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि एक बार नवाब ग़ाज़ीउद्दीन हैदर ने नासिख़ की शायरी की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपने दरबार में उपस्थित होकर क़सीदा सुनाने और मलिकुश्शुअरा (कवि सम्राट) की उपाधि ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। परन्तु शायर ने नवाब का प्रस्ताव इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया कि, "एक नवाब मात्र के द्वारा प्रदान की गयी उपाधि, जिसके पास न तो दिल्ली के सम्राट की मान–प्रतिष्ठा है और न ही 'कंपनी बहादुर' की शक्ति है व्यर्थ से भी बदतर है।" इस प्रकार, वे नवाब के कोप भाजन बन गये तथा उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ा।

नवाब ग़ाज़ीउद्दीन हैदर की मृत्यु के पश्चात वे लखनऊ आ गये परन्तु उन्हें पुनः उसे छोड़ना पड़ा। नासिख़ की मृत्यु 1838 ई0 में हुई।

नासिख़ की कविताओं के तीन दीवान हैं। प्रथम "दफ़्तर–ए–परेशान" है, जो इलाहाबाद में 1816 ई0 में पूर्ण हुआ। द्वितीय और तृतीय क्रमशः 1831 तथा 1838 में पूर्ण हुए। उन्होंने "नज़्म–ए–सिराज" शीर्षक से एक मसनवी तथा एक नअत की भी रचना की थी।

जारी.....

❖❖❖

आपके प्रश्नों.....

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सैकड़ों मुअ़जिज़े हैं जो सीरत (आपकी जीवनी) की किताबों में लिखे हैं।

प्रश्नः मेअ़राज किसे कहते हैं?

उत्तरः अल्लाह के हुक्म से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक रात बुराक (एक जन्नती सवारी) पर सवार हो कर मक्के से बैतुल मक़्दिस गये फिर वहां से सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह ने जहां तक चाहा वहां तक गये, जन्नत देखी, दोज़ख़ देखी और रातों रात मक्का वापस आ गये, इसको मेअ़राज़ कहते हैं।

प्रश्नः करामत किसे कहते हैं?

उत्तरः अल्लाह तआ़ला, नबियों के अतिरिक्त अपने दूसरे प्रिय बन्दों (भक्तों) का सम्मान बढ़ाने के लिए कभी उनके द्वारा ऐसी अदभुत बातें करा देता है जिसे दूसरे लोग नहीं कर सकते उनको करामत कहते हैं, अल्लाह के प्रिय भक्तों (वलियों) से करामत का प्रकट होना सत्य (हक) है।

प्रश्नः मुअ़जिज़ा और करामत में क्या फर्क है?

उत्तरः मुअ़जिज़ा अल्लाह के नबी या रसूल से जाहिर होता तथा करामत नबी के अनुयायी संयमी से जाहिर होती है।

प्रश्नः क्या औलियाउल्लाह (अल्लाह के प्रिय संयमी भक्तों) से करामत का जाहिर होना आवश्यक है?

उत्तरः नहीं, अल्लाह के मित्र (वली) से करामत (चमत्कार) का जाहिर होना आवश्यक नहीं, हो सकता है कि कोई अल्लाह का वली हो और उससे जीवन भर कोई करामत (चमत्कार) जाहिर न हो।

प्रश्नः कुछ शरीअ़त के खिलाफ काम करने वाले फ़क़ीरों से कुछ अदभुत बातें और चमत्कार जाहिर होते हैं उनको क्या समझना चाहिए?

उत्तरः जो लोग शरीअ़त के खिलाफ काम करते हैं और उनसे चमत्कार जाहिर होते हैं उनको जादू या इस्तिदराज कहते हैं वह शैतान के दोस्त होते हैं उनको वली या बुज़ुर्ग (महापुरुष) समझना शैतानी धोखा है।

प्रश्नः क्या मुसलमान मय्यित के दफ़्न से पहले ईसाले सवाब कर सकते हैं?

उत्तरः हाँ मुसलमान मय्यित को दफ़्न से पहले ईसाले सवाब कर सकते हैं, जब उसके इन्तिकाल की खबर मिलती है तो "इन्ना लिल्लाह" पढ़ने के बाद कहा जाता है अल्लाह उसकी मग़फिरत करे ईसाले सवाब में भी मग़फिरत का मक्सद होता है।

प्रश्नः क्या किसी ज़िन्दा मुसलमान को ईसाले सवाब किया जा सकता है?

उत्तरः हाँ ज़िन्दा मुसलमान को भी ईसाले सवाब किया जा सकता है अलबत्ता ईमान पर खातिमे के बाद इसको सवाब मिलेगा।

❖❖❖

शहादत फ़ौज़े अज़ीम (पद्य में)

—इदारा

है शहादत कामयाबी बल्कि है फ़ौज़े अज़ीम
फिर भी फ़ित्री ग़म है इसमें और है सब्रे अज़ीम
पर शहादत पर मुसर्रत तो नहीं मशरूअ है
यादे ग़म में ताज़ियादारी भी तो ममनूअ है
नौहा मातम सीना कूबी हैं शरीअत में हराम
अहले सुन्नत के अइम्मा इनको कहते हैं हराम
रहनुमा हस्नैन हैं उम्मत के इसमें शक नहीं
हुब्ब में उनकी मगर करते हैं बिदअत हम नहीं
पैरो हैं प्यारे नबी के, हैं वही सबके इमाम
रहमतें लाखों नबी पर और हों लाखों सलाम

फ़ौज़े अ़ज़ीम= बड़ी सफलता, मशरूअ़= शरीअ़त में जाइज़ होना, ममनूअ़=वर्जित, फ़ित्री ग़म= स्वाभाविक दुख

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

उर्दू सीखिये

—इदारा

सामने लिखे हिन्दी की मदद से उर्दू जुम्ले पढ़िये।
शुद्ध उच्चारण के लिए जानकार से मदद लें।

ज़ाकिर को जाकिर मत कहो	ذاکر کو جاکر مت کہو
ज़मीन को जमीन मत कहो	زمین کو جمین مت کہو
ज़ाहिर को जाहिर मत कहो	ظاہر کو جاہر مت کہو
ज़ामिन को जामिन मत कहो	ضامن کو جامن مت کہو
हाकिम बोलो हाकिम मत बोलो	حاکم بولو ہاکم مت بولو
ख़ादिम बोलो खादिम मत बोलो	خادم بولو کھادم مت بولو
आ़लिम को आलिम मत कहो	عالم کو آلم مت کہو
ग़ालिब को गालिब मत कहो	غالب کو گالب مت کہو
फ़क़ीर बोलो फकीर मत बोलो	فقیر بولو پھکیر مت بولو
क़लम को कलम मत कहो	قلم کو کلم مت کہو
सब्र करो सवाब मिलेगा	صبر کرو ثواب ملے گا
सुबूत पेश करो	ثبوت پیش کرو
साबिर को बुलाओ	صابر کو بلاو
तीर तलवार की बात मत करो	تیر تلوار کی بات مت کرو
अपना तौर तरीक़ा ठीक करो	اپنا طور طریقہ ٹھیک کرو
सलाम को रवाज दो	سلام کو رواج دو
उसका नाम गयासुद्दीन है	اس کا نام غیاث الدین ہے
बुज़ुर्गों का इत्तिबाअ़ करो	بزرگوں کا اتباع کرو
कुरआन पढ़ा करो	قرآن پڑھا کرو
उस पर अल्लाह का इनआ़म है	اس پر اللہ کا انعام ہے
अल्लाह से दुआ़ माँगो	اللہ سے دعا مانگو